"महिला सशक्तीकरण"

क्षमता

स्त्री-शक्ति अपनी रचनात्मक व सृजनात्मक कौशल
के रूप में सृष्टि का आधार रही है। मानव समाज ने उसक
इस सृजन-क्षमता के समक्ष नतमस्तक होकर उसमें देवत्व का
आरोपण करके उसे पूजनीय बनाया किन्तु इसका एक त्रास
-द पहलू यह है कि वास्तविक धरातल पर इसी समाज
ने उसे पीड़ा व प्रताड़ना के साथ दलित भी बनाया। आज
दुनिया की इस आबादी को उसका हक तथा सम्मान देने
हेतु समाज को प्रतिबद्धता दिखानी होगी और आर्थिक,
सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उसे अधिकार देने
होंगे, यह सशक्तीकरण का मूल बिंदु होगा। कोई भी
समाज अपने आधे हिस्से को उपेक्षित, प्रताड़ित तथा
दलित बनाकर अपने सम्पूर्ण विकास का दावा नहीं कर
सकता है।

प्रस्तावना ⇒ { सारगर्भित ढंग से प्रवाह पूर्ण व आकर्षक भाषा-शैली में समस्या के सभी पहलुओं की एक झलक

↓

यौन शोषण, तस्करी देह व्यापार, शिक्षा प्रताड़ना व उनकी दलित स्थिति की पृष्ठभूमि में

सशक्तीकरण का अर्थ व स्वरूप ⇒ { आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक पहलुओं की दृष्टि से क्या स्वरूप होना चाहिये, तार्किक ढंग से

↓

आवश्यकता क्यों है? → { उसकी दलित स्थिति, मानवीय गरिमा, विकास की गति, समाज के सभी पहलुओं को नये कौशल देने हेतु, संविधान, समाज व समसामयिक उदाहरणों सहित

|

↓

राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास

↓

सरकारी प्रयास ⇒

स्वास्थ्य
- सबला योजना
- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
- उज्ज्वला योजना
- स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता अभियान
- आशा बहुओं की नियुक्ति etc
- लिंग परीक्षण रोकथाम विधेयक

आर्थिक वित्तीय
- महिला बैंक की स्थापना
- SHG को प्रोत्साहन
- कम ब्याज पर ऋण की सुविधा
- मनरेगा
- नौकरियों में आरक्षण
- टैक्स में छूट, etc.

कानूनी सुरक्षा
- महिला न्यायालय
- घरेलू हिंसा अधिनियम 2005
- यौन हिंसा रोकथाम विधेयक, etc.

शैक्षिक
- कस्तूरबा गांधी विद्यालय
- बालिका छात्रवृत्ति योजना
- कन्या विद्याधन योजना
- साइकिल वितरण योजना
- फीस माफी योजना
- महिला वि०वि० की स्थापना, etc.

सामाजिक
- जन-जागरूकता, सोच का विस्तार
- बेटा-बेटी एक समान की अवधारणा, आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रभाव, शैक्षिक जागरूकता etc.

राजनैतिक → स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण, संसद में महिला आरक्षण विधेयक, राजनैतिक क्रिया कलापों में विभिन्न मंचों से भागीदारी को प्रोत्साहन, महिला ब्रांड अंबेसडरों की नियुक्ति, नीति-निर्माण में भागीदारी etc.
महिला आयोग < राष्ट्रीय, राज्य

↓

गैर सरकारी प्रयास ⇒
- NGO की भूमिका
- SHG की स्थापना
- महिला संगठनों की स्थापना, etc

↓

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ⇒
- 8 मार्च महिला दिवस,
- UN वूमेन विंग,
- मानवाधिकार संगठनों द्वारा,
- NGO, SHG द्वारा,
- तस्करी, यौन शोषण, देह व्यापार को रोकने हेतु विभिन्न राष्ट्रों द्वारा आपसी सहमति etc.

↓

बाधायें ⇒
- समाज की रूढ़िवादी मानसिकता
- कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव
- शैक्षिक जागरूकता की कमी
- आर्थिक-आत्मनिर्भरता का न होना
- शारीरिक दृष्टि से कमजोर होना
- भ्रष्टाचार
- महिलाओं द्वारा ही महिलाओं का शोषण
- पुरुषों के अहं पर चोट etc.

सुझाव → आर्थिक आत्मनिर्भरता,
शैक्षिक जागरूकता,
घर-परिवार के निर्णयों में उचित व सम्मान जनक भागीदारी,
कामकाजी प्रशिक्षण,
मजबूत मानसिक स्थिति का निर्माण,
कानूनी मजबूती,
विकास व निर्णय तथा नीति-निर्माण प्रक्रिया में उचित भागीदारी

निष्कर्ष → आशावादिता के साथ, काव्य-पंक्तियों के साथ एक निचोड़ रूप में

इस प्रकार, सशक्तीकरण के संदर्भ यदि हम पीछे रहे तो विश्व की आधी ऊर्जा को समाज व विकास की मुख्यधारा से जोड़ने से वंचित रह जायेगें और इसका नकारात्मक प्रभाव दूरगामी होगा। यद्यपि अभी तक समाज में इसके लिए बेहतर प्रयास किया है किंतु वह भी ऊँट के मुंह में जीरा ही साबित हुआ है। अब प्रयास की दिशा समग्रता व सम्पूर्णता के साथ समावेशी प्रकृति की होनी चाहिये। यदि भारत जैसे देश वैश्विक महाशक्ति का दर्जा हासिल करना चाहते हैं, विजन 2020 के महत्वाकांक्षी का लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो इसका रास्ता नारी की पीड़ा दूर करने और उनके आंसू पोंछने की भावना से होकर जाता है और शायद तभी हम भारतीय संस्कृति की उदात्त परम्परा – "यत्र नार्यस्तु पूजते, तत्र रमन्ते देवता" को गर्व के साथ सिर उठाकर जीवंत कर सकेंगे।

साहित्य और समाज

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते कभी एकाकी नहीं रह सकता और अपनी पूर्णता के लिए नित नये प्रयास करता रहता है, इन्हीं सार्थक प्रयासों का एक रचनात्मक आयाम साहित्य भी है। यह मनुष्य की चिंतनशील वृत्ति के गर्भ से सृजित प्रतिफल है जो भौतिक व आध्यात्मिक दोनों आयामों तक विस्तृत होता है। समाज की चिंतनधारा तथा उससे उपजे निष्कर्षों का सार्थक विश्लेषण और इनके आलोक में समाज की नीति और नियत को दिशा देना ही साहित्य का मुख्य विवेच्य ध्येय होता है।

मनुष्य के समष्टि रूप का नाम ही समाज है और मनुष्य के भाषाबद्ध विचार-प्रवाह को साहित्य नाम दिया गया है। अतः साहित्य और समाज का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित प्रकार का बनता है। जेम्स स्कॉट ने लिखा है कि साहित्य किसी राष्ट्र के बौद्धिक जीवन का व्यापक सार है। टैगोर ने साहित्य को 'सहित' शब्द-भाव रूप में देखा है जिसका संदर्भ मात्र भाव - भाषा - ग्रंथ के मिलन तक ही नहीं अपितु मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, समष्टि के साथ व्यष्टि का और दूर के साथ निकट के अंतरंग मिलन तक विस्तारित है।

वर्तमान में साहित्य के अनेक रूप समाज में दिखायी देते हैं। हल्के-फुल्के विषयों पर टिप्पणी से लेकर गम्भीर बिंदुओं के तार्किक विश्लेषण और दैनन्दिन घटनाओं के वर्णन से लेकर अतीत की गहराइयों में झांकने का साहस आज का साहित्य

बखूबी निभा रहा है। विभिन्न कालजयी ग्रंथों, काव्य कोश, कहानियों, उपन्यास, नाटक, फिल्म, पत्रिकाओं तथा अखबारों इत्यादि के माध्यम से साहित्य स्वयं को समाज के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। नाटकों व चलचित्रों ने तो श्रव्य व दृश्य के संयोग से साहित्य की जीवंतता व प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने का काम किया है। कम्प्युटर क्रांति ने तो साहित्य को डिजिटल बनाकर उसकी उपलब्धता, संकेन्द्रण तथा सुग्राह्यता में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो साहित्य को समाज का दर्पण कहा है। अर्थात साहित्य समाज की वास्तविक दशा को हू-ब-हू चित्रित करता है। जब हम साहित्य में वर्णित किसी घटना को पढ़ते हैं तो उस समय-समाज का चित्र हमारी आंखों के सम्मुख उपस्थित हो जाता है। कुछ बुद्धिजीवियों का मत है कि साहित्य की भूमिका समाज के पथ प्रदर्शक की है। वास्तव में साहित्य ये दोनो भूमिकायें पूर्ण करता है। जहां दर्पण के रूप में वह समाज का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है वहीं दूसरी ओर वह उसके गहन विश्लेषण से उपजे निष्कर्षों के आधार पर समाज को दिशा भी देता है। वस्तुत: समाज को दिशा देने का काम तलवार ने नही कलम ने किया है। समाज के कोने-कोने में झांकने तथा उसकी खूबियों - विसंगतियों पर सवाल उठाने का साहस एक कलमकार ही कर सकता है —

" अंधकार है वहां जहां आदित्य नही है,
मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नही है।"

साहित्य ज्ञान का संचित कोश होता है जहां समाज

के अनुभव विशेष समाहित रहते हैं, इसीलिए साहित्य को समाज का मस्तिष्क भी कहा जाता है। साहित्य हरिश्चन्द्र, शिवी, दधीचि, नानक, बुद्ध, महावीर, ख्वाजा चिश्ती जैसे चरित नायकों के माध्यम से समाज को समझ सत्यनिष्ठा, त्याग, दया, प्रेम, करुणा जैसे उदात्त गुणों से परिचित कराता है। कबीर की साहसिक दृष्टि समाज की विसंगतियों, आडम्बर पर प्रहार करती है। तुलसी का लोकमंगल अशोक, अकबर, गांधी के प्रयासों में समाहित दिखायी देता है। सूर का वात्सल्य हो, घनानन्द का सुजान प्रेम हो, विवेकानंद का दर्शन हो या इकबाल का सारे जहाँ से अच्छा, सभी समाज के अनुभव विशेष का ही निचोड़ हैं।

साहित्य और समाज एक दूसरे पर गहरे अर्थों में प्रभाव डालते हैं। साहित्य समाज को शनैः शनैः प्रभावित करता है किन्तु गांधी, कार्ल मार्क्स, रूसो, दांते आदि के साहित्य ने समाज को तीव्र ढंग से प्रभावित किया है। स्वतंत्रता, समानता, आत्मनिर्णय जैसे मूल्यों को साहित्य ने ही समाज में निवेशित किया है। साहित्य की प्रेरणा से समाज अपना रूप बदलता है और नयी प्रेरणा प्राप्त करता है। दूसरी तरफ, साहित्य का निर्माण समाज की घटनाओं के आधार पर होता है। समाज की घटनाओं में कल्पना का मिश्रण कर साहित्य उसे नये कलेवर में प्रस्तुत करता है जो नवीन प्रेरक का कार्य करता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न चिंतन की धारा समाज सुधार का महती कार्य भी सम्पन्न करती है। चाहे भक्तिकालीन साहित्य में समाज के दिखावेपन पर आक्रोश व्यक्त किया हो या भारतेन्दु, प्रेमचंद के साहित्य से स्वतंत्रता का भाव प्रकट हुआ हो, यह सब सम्भव हुआ उस युग के साहित्य से।

साहित्य ~~[illegible]~~ के कारण मानव प्रवृत्तियां हैं जिसके ~~संकेत माध्यम से दोनों~~ का कार्य आगे बढ़ता है। जब सारे हथियार विफल हो जाते हैं तो निराश समाज को दिशा दिखाने का कार्य साहित्य करता है —

" जब तोप मुकाबिल न हो तो अखबार निकालो।"

(अकबर इलाहाबादी)

साहित्य के अपने कुछ मूल्य भी होते हैं क्योंकि बिना मूल्यपरकता के साहित्य बोझ के समान होगा। अतः साहित्य के मूल्यों का निर्धारण उसके ध्येय, उसके विचारों तथा उसकी प्रभावशीलता के सम्बन्ध में निर्धारित करते हुए 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' की अवधारणा को सन्दर्भित किया गया है। सत्य का अनुसंधान, सत्य की प्रस्तुति और उसका लोककल्याणकारी कलेवर साहित्य की मूल्यपरक विशेषतायें हैं जिनसे समाज लाभान्वित होता है। स्वयं के तनाव व विकारों के बीच मनुष्य आनन्द की खोज में लगा रहता है अतः साहित्य का सौन्दर्य बोध समाज के आनन्दपिपासु मनोविज्ञान को तुष्ट करने की भी गुरुतर जिम्मेवारी का निर्वहन करता है।

अतः समाज के निर्माणकारी तत्वों में साहित्य प्रमुख उपादान है। एक ओर वह समाज से प्रभावित होकर उसकी प्रस्तुति करता है तो दूसरी ओर कल्पना का योग कर नवीन कलेवर में उसमें परिवर्तन का भी प्रयास करता है। साहित्य अपने युग का उद्भाष है, वाहक है इसीलिए वह कालजयी भी है। बिना साहित्य के समाज मूक-बधिर तथा आपादाहस्त के समान होगा —

" साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः"।

'तुलसी का लोकमंगल'

"कीरत भनित भूति भल सोई, सुरसरि सम सबकर हित होई" की मंगलमयी भावना से परिपूर्ण मध्यकालीन रामभक्त आचार्य तुलसी का हृदय अपने समय की जड़ता व पददलित, पराजित मनःस्थिति वाले हिन्दू समाज को देखकर कराह उठा। तुलसी के इस व्यथित हृदय ने चित्रकूट के घाट पर समाज-सुधार की जो मशाल जलायी उसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के चरित्र में पिरोकर घर-घर पहुँचा दिया। सबके हित को साधने की मंशा के साथ तुलसी ने एक आदर्श परिवार, राज्य व समाज की कल्पना की, यह मंगलमूर्ति अवधारणा थी।

तत्कालीन परिवेश

"कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रन्थ
दाम्भिन निज मति कल्पि कर, प्रकट किये बहुपंथ"

- इस्लाम का आगमन → हिन्दू प्रतिक्रिया → कटुता का वातावरण
- विभिन्न धार्मिक समुदाय परस्पर द्वन्दरत थे
- पूर्व के विचारकों (कबीर) की तीखी वाणी थी
- भारत के सांस्कृतिक सूर्य का अवसान हो रहा था

मंगलमयी उद्देश्य

- समाज की समस्याओं का सम्यक् हल तलाशना
- भग्न हृदयों को सांत्वना देना
- हिन्दू समाज के मनोबल की पुनर्स्थापना

"अनिति भदेसु वस्तु भलि भरनी • उपयोगी जीवन मूल्यों की स्थापना
रामकथा जग मंगल करनी" • पथभ्रष्ट जनसमूह का पथप्रदर्शन

• आदर्श परिवार की अवधारणा (पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, मित्र इत्यादि)
• ह्रासोन्मुख वर्णाश्रम धर्म की पुनर्स्थापना ⇒ सामाजिक संतुलन

सामाजिक मंगल

• भौतिक व आध्यात्मिक संतुलन व कर्मवाद की स्थापना

"सकल पदारथ हैं जग माहिं • मर्यादित नारीवाद ⇒ सीता का चरित्र
कर्महीन नर पावत नाहिं" • उच्च आदर्शों के लिए वैयक्तिक सुखों का परित्याग
• रामराज की अवधारणा (उत्तरकाण्ड में)

"कालि बारहिं-बार दुकाल परै • धन के असमान वितरण व अकाल
बिनु अन्न दुखी सब लोग मरै" से छुटकारे की भावना

आर्थिक मंगल

• जीविका की सम्यक् व्यवस्था
• निम्न वर्गों की आर्थिक महत्ता (शबरी, भील, निषादराज इत्यादि)

"नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना
नहिं कउ अबुधन लच्छनहीना" • भौतिक उन्नति की कल्पना

"दैहिक, दैविक, भौतिक तापा • अयोध्या का आदर्श राज्य
रामराज नहिं काहुहिं ब्यापा" • लंका में योग्य राज्य की स्थापना
• सुग्रीव के राज्य से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध

राजनीतिक मंगल

• जनक के साथ विवाह-कूटनीति

"जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी • राजा-प्रजा का समन्वय
सो नृप नरक अवसि अधिकारी" • राजा में शक्ति, शील व सौन्दर्य के गुणों का समन्वय (राम का चरित्र)

"तुम्हहिं छांडि गति दूसरि नाहिं
राम बसहुं तिनके मन माहिं"

- सगुण भक्तिमार्ग की स्थापना
- शुद्ध हृदय, समर्पण भाव, अटूट निष्ठा को अधिक महत्व दिया

धार्मिक मंगल

- भक्ति - ज्ञान, राम - शिव (वैष्णव शैव) अद्वैत - विशिष्टाद्वैत इत्यादि पंथों के पारस्परिक ऐक्य-भाव पर बल
- सगुण -निर्गुण का समन्वय
- धर्म की कल्याणकारी अवधारणा

"ग्यान कहै अज्ञान बिनु
तम बिनु कहै प्रकास,
निरगुन कहै सो सगुन बिनु
सो गुरु तुलसीदास।"

"जाके प्रिय न राम बैदेही
तजिए ताहि कोटि बैरीसम
जदपि परमसनेही"

- ब्रज व अवधी भाषा में रचना
- दोहा, चौपायी, कवित्त, सवैया छप्पय, लोकगीत इत्यादि काव्य शैलियों का सुन्दर समन्वय
- मानस, दोहावली, कवितावली विनय पत्रिका, बरवै रामायण
- रामलला नहछू में भाषा व शैलीगत सौन्दर्य-विधान

साहित्यिक मंगल

- मंगलकारी साहित्य की रचना
- लोक भाषा का साहित्य होने से व्यापक प्रसार ⇒ जन जागरूकता व शिक्षा में वृद्धि
- सर्वकालिक व सर्वदेशिक और कालजयी साहित्यिक योगदान
- युगबोध का भाव
- उपर्युक्त ग्रन्थों के विभिन्न प्रसंगों में तुलसीदास ने लोकमंगल की भावना व्यक्त किया है।

"मानस मजहब की दृष्टि से
लिखा गया कोई साम्प्रदायिक
ग्रंथ नहीं है। वह धर्म की
भावभूमि पर निर्मित साहि-
-त्यिक, साथ ही भक्ति
का ग्रंथ है।"

"लता ओट तब सखिन्ह लखाये
स्यामल गौर किसोर सुहाये"

"भ्रमे विलोचन चारु अचंचल
मनहुं सकुचि निमि तजे दृगंचल"

तुलसी का मर्यादा भाव

"पूजिय विप्र सील गुन हीना
शूद्र न गुन-गन ग्यान प्रवीणा"

- तुलसी लोक मर्यादा के कवि थे

मर्यादा का भाव परिलक्षित →

* पुष्पवाटिका मिलन प्रसंग
* राम के ईश्वरीय व मानवीय स्वरूप के मिलन की सीमा
* लोक व्यवस्था की मर्यादा
* स्त्रियों की मर्यादा रेखा
* गुरु का सम्मान व शिष्टाचार
* मर्यादित भक्ति का चित्रण
* शत्रुओं के प्रति मर्यादित व्यवहार (रावण व बालि, शूर्पणखा, सुरसा, लंकिनी इत्यादि)

वस्तुत: तुलसीदास ने जिस रामराज्य की कल्पना की थी वह आज भी राज्य-समाज को प्रेरणा देती है। आदर्श परिवार की अवधारणा को भारत ने सदियों तक जिया है। प्रतिवर्ष दशहरा धर्म की विजय के रूप में लोकमंगल की ओर उन्मुख होता है। वास्तव में तुलसी का चिंतन केवल हिन्दू समाज ही नहीं वरन् भारतीय संस्कृति व जीवन शैली का भी प्राणतत्व है। इससे न केवल तत्कालीन समाज लाभान्वित हुआ बल्कि युग-युगांतर तक यह विश्व को कर्म के आधार पर मर्यादा के तले आगे बढने की मंगल प्रेरणा देता रहेगा।

'कबीर का सामाजिक दर्शन'

भक्ति कालीन निर्गुणमार्गी ज्ञानकवि कबीर दास ने तत्कालीन समय को उसकी बुराइयों के संदर्भ में करारा प्रहार कर झकझोरा और उसे प्रेम, सद्भाव पर आधारित मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कर्मवाद की घोषणा करता उनका जुलाहे का जीवन समाज को उसकी अकर्मण्यता व जड़ता से निकालकर कर्त्तव्यपथ पर ले जाने के लिए एक मशाल के समान जलता रहा। उसकी सामाजिक दृष्टि समाज की रूढ़ियों - बेड़ियों को तोड़ते हुए प्रबुद्ध तर्कशील चिंतन व आडम्बर रहित सादी-सरल जीवन शैली को समाज में स्थापित करने पर जोर देती है।

"चौदह सौ पचपन साल गये
चन्द्रवार इक ठाठ ठये
जेठ सुदी बरसायत को
पूरनमासी प्रकट भये"

परिचयात्मक पृष्ठभूमि

* संवत 1455 - 1575 विक्रमी
* काशी में जन्म (लहरतारा तालाब) एवं मगहर में मृत्यु
* विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म
* नीमा - नीरू जुलाहा दम्पत्ति द्वारा पालन-पोषण

"मसि कागद छुयो नहि
कलम गही नहि हाथ"

* साखी (दोहा), सबद (पद), रमैनी (चौपाइयों) में रचना, धर्मदास द्वारा संकलन → बीजक में

गुरु - रामानंद
↓
काशी में राम-नाम की दीक्षा

* अनपढ़, गृहस्थ संत, उग्र सुधारवादी विचार धारा
* हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों के बीच की कड़ी, पुत्र ⇒ कमाल
* पत्नी लोई, धनिया (रमजानियां)
[डा० रामकुमार वर्मा]

तत्कालीन समाज की पृष्ठभूमि

→ इस्लाम का आगमन
→ हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध तनावपूर्ण
→ सामंतवादी उच्छिष्ट
→ जाति-प्रथा की विकृतियां व्याप्त थीं
→ धर्म पाखंड व आडम्बर तथा संकीर्णता के शिकंजे में फंसा हुआ था।
→ दार्शनिक - आध्यात्मिक जटिलताऐं थी

"कांकरि पाथर जोर के मस्जिद लई बनाइ"
"हिन्दू अपनी करें बड़ाई गागर छुअन न देई वेश्या के पायन तर सोवैं यह देखो हिन्दुआई"

सामाजिक दृष्टि ⇒

* छुआ-छूत, अस्पृश्यता का विरोध
* धार्मिक दिखावेपन की कटु आलोचना
* हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतियों की समान आलोचना
* सामाजिक तनाव के समाधान की तलाशने का प्रयास
* विभिन्न मत-मतान्तरों व जटिलताओं का खण्डन किया
* सादगी व सरल जीवन-पद्धति पर जोर
* धर्म के कल्याणकारी स्वरूप की स्थापना
* कर्मवाद पर जोर
* ज्ञान से उपजे घमण्ड की निंदा — → अनपढ़ के भी व्यवहारिक महत्व पर जोर
* प्रेम व सद्भाव के मूल्यों पर समाज निर्माण को प्रोत्साहन
* गृहस्थ जीवन की सर्वोपरिता
* वर्ण व जाति व्यवस्था की विकृतियों पर प्रहार

"कबीरा सूता क्या करे जागि न जपै मुरारि, इक दिन सोवन होयगा लम्बा गोड़ पसारि"
"पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोइ"
"बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर"
"तूं बाभन मै काशी का जुलहा चीन्हि न मोर गियाना"

"कबीरा यह संसार है
ज्यों सेंभल के फूल" * संसार की नश्वरता का उल्लेख

"कहत कबीर सुनो नर लोई * समाज के स्वार्थपरकता व मायावादी
हम न किसी के न हमरा कोई" स्वभाव की यथार्थ दृष्टि से निंदा

"गुरु गोविन्द दोऊ खडे" * गुरु की महिमा पर जोर

'दुलहिन गावहु मंगलाचार' + निर्गुण ब्रह्म की उपासना

"अब मोहि राम भरोसा तेरा + अद्वैतवाद पर जोर
तब काहू के कवन निहोरा' + माया व संसार की नश्वरता का जिक्र

"तनना बुनना तज्यो कबीर + सादगीपूर्ण व कर्म की ओर उन्मुख
राम नाम लिखि लियो शरीर' धर्म पर जोर

+ आध्यात्मिकता पर जोर

धार्मिक दृष्टि ⇒ + रहस्यवाद की स्थापना

"मानुष जनम दुर्लभ है + आत्ममंथन व आत्मसंघर्ष पर
होई न बारम्बार" जोर देकर आत्मोन्नति का प्रयास

"झूठे तन की क्या गरबावैं + धर्म के आचरण युक्तता पर जोर
मरैं तो पल भर रहन न पावैं"

+ शुद्धाग्रह व सदाचरण पर आधारित

"कस्तूरी कुंडली बसै धार्मिक स्वरूप पर जोर देकर
मृग ढूंढै वन माहि" दार्शनिक जटिलताओं का खण्डन

+ धर्म के माध्यम से एकता लाने
"बूझहू मोर गियाना पर जोर दिया
तू पंडित मैं काशी का + संसार को माया निर्मित मानते
जुलाहा" हुए भी गीता के निष्काम कर्म
योग की तरह कर्म पर जोर

"कबीरा यह घर प्रेम का + ज्ञान योग व कर्म योग पर जोर
खाला का घर नाहि + धार्मिक भेदभाव समाप्त करके
सभी धर्मों के साझे मूल्यों की
पुनर्स्थापना पर जोर

'मन रे, जागत रह्यो भाई'

* उनका जुलाहे का जीवन उत्पादन के निम्न साधनों की महत्ता पर जोर देता है।

आर्थिक दृष्टि ⇒

* कर्म ⇒ उत्पादन का आधार था
* आर्थिक जीवन के आधार की सामाजिक प्रतिष्ठा पर जोर

साहित्यिक व भाषायी दृष्टि ⇒

+ लोक भाषा का प्रयोग
+ व्याकरण सम्मत भाषा की उपेक्षा
+ वाणी के डिक्टेटर थे
+ साखी, सबद, रमैनी तीनों का प्रयोग
+ सांस्कृतिक एकता की प्रतीक ⇒ पंचमेल खिचड़ी भाषा पर जोर

वास्तव में कबीर के चरित्र में बुद्ध व महावीर की तार्किक दृष्टि के साथ समाज को रूढ़ियों से मुक्त करने का प्रबल आग्रह दिखायी देता है। युगदृष्टा क्रांतिकारी कबीर ने समाज के मनोविज्ञान को परिवर्तित कर उसे आत्मसुधार की दिशा दिखायी। वर्तमान उपभोक्तावादी परिवेश तथा नये रूढ़ि प्रतिमानों में फंसे समाज को आज कबीर के वाणी की सर्वाधिक आवश्यकता है। 21वीं शती के नये दुराग्रहों व आडम्बरों के बीच मध्यकालीन अनपढ़ जुलाहा व उसका जीवन दर्शन ही सर्वाधिक अनुकूल प्रतीत होता है।

'काले धन की समस्या'

गो धन, गज धन, बाजि धन और रतन धन के बाद वर्तमान व्यवस्था की एक समस्या काले धन के रूप में उठ खड़ी हुयी। वैसे तो यह समस्या विश्व-व्यापी है किंतु भारत में इसने राजनीति व आम जन-जीवन में एक मुद्दे का रूप ले लिया है। दरअसल जैसे-जैसे मनुष्य का लोभ बढ़ता गया वैसे ही उसने लाभ के नये-नये रास्तों को खोजा और वर्तमान व्यवस्था में जब उसने टैक्स चोरी का छिद्र खोजा तो उसमें से असीमित काले धन का प्रवाह शुरू हो गया। लाभ के लोभ से उपजे इस धन ने व्यवस्था के कई पहलुओं पर अपनी काली छाप छोड़ी।

परिभाषा ⇒ "काला धन वह आय होती है जिस पर सरकार को टैक्स की देनदारी बनती है लेकिन कर विभाग को उसकी जानकारी नही दी जाती अर्थात् उसे छुपाया जाता है।"

वर्तमान में चर्चा →

* 2011 में अन्ना हजारे व बाबा रामदेव के आन्दोलन
* UPA-2 के घपले-घोटालो के खुलासे
* 16वीं लोकसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा बना
* नयी सरकार का पहला फैसला SIT का गठन → काले धन की जाँच

पृष्ठभूमि →

- नेहरू काल का कैरो मामला
- साठ के दशक में बीजू पटनायक का बयान – "मैं लाख रूपये देकर CM बना हूँ तो करोड़ों देकर PM बन जाऊँगा।"
- इंदिरा काल में ओडिशा की CM नंदिनी सतपथी का 40 लाख का चुनावी खर्च
- PB शव काल में आयकर अधिकारी द्वारा 110 अरब डॉलर स्विस बैंक में जमा करने का मामला
- अन्य वैश्विक रिपोर्टें

→ हाल ही में स्विस बैंक के H.S.B.C. से लीक एक सूची से काले धन से जुड़े लोगों के नाम उजागर हुये। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया भी इसकी गम्भीरता को उजागर करता है।

कारण ⇒

* उपभोक्तावादी संस्कृति की मनोवृत्ति
* राजनीति के प्रति व्यवसायिक मानसिकता
* अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बाधा
* भारतीय कर-प्रशासन का उलझाऊ व अपारदर्शी ढांचा
* सरकारी मूल्य नियंत्रण की नीति
* कोटा व लाइसेंस प्रणाली का भ्रष्टाचार
* चुनावों में धनबल का बढ़ता प्रयोग
* वस्तुगत व्यापार में कालाबाजारी-जमाखोरी
* रियल स्टेट कारोबार का ढांचा
* सैन्य कैंटीन की कमीशनबाजी

* शेयर बाजार की खरीद - फरोख्त
* सीमापार तस्करी, मादक द्रव्यों व वेश्यावृत्ति का कारोबार
* परम्परागत कारण - जमीन में पैसा गाड़ना उत्तराधिकारी सम्पत्ति व दहेज इत्यादि
* सिनेमा व खेल (विशेष रूप से क्रिकेट) में भारी मुनाफे का करोबार
* नेता - नौकरशाही - उद्योगपति - अपराधी - पत्रकार का आपसी गठजोड़

स्रोत

- **अवैध तरीके से** - अपराधिक गतिविधियां (कान्ट्रैक्ट किलिंग, अपहरण, तस्करी, ड्रग्स अवैध खनन, घोटाला, भ्रष्टाचार, रिश्वत -खोरी व कर चोरी इत्यादि)
- **कानूनी छिद्रों का फायदा उठाकर** - कर चोरी, आय कम दिखाना, कृषि में निवेश दिखाना, NGO, खातों की गोपनीयता, मीडिया की सहभागिता

निवेश क्षेत्र →

* चुनावों में (लोस-2014 में 1400 करोड़ खर्च)
* भारत की 97% जनसंख्या काले धन की चपेट में तथा के 3% लोगों का उस पर नियंत्रण
* 462 अरब डॉलर भारत का विदेशी बैंक में निवेश
* रियल स्टेट, सिनेमा, खेल में लाखों करोड़ का निवेश
* अनुमानतः भारत की GDP का 40% काले धन के रूप में
* अन्य गतिविधियों में

भुगतान असंतुलन, बढ़ता विदेशी कर्ज
प्रौद्योगिकी में कमी, विकास की गति में

प्रभाव ⇒ पूंजी की कमी

- राजनीतिक-प्रशासनिक — दूषित चुनाव प्रक्रिया नीतियों का गलत ढंग से निर्माण, अवैध राजनीतिक चंदों की वसूली, कर-प्रशासन में बढ़ता राजनीतिक हस्तक्षेप व अधिकारियों का गिरता मनोबल
- सामाजिक - सांस्कृतिक - नैतिक मूल्य क्षरण लोभ के कारण आपराधिक प्रवृत्ति का विकास दूषित समाजीकरण की प्रक्रिया इत्यादि
- अंतर्राष्ट्रीय — अवैध व्यापार व तस्करी को बढ़ावा, आतंकी संगठनों व विप्लव की गतिविधियों को मदद

निवारण

(सरकारी)

- 1972 में वांचू समिति की रिपोर्ट
- 1991 राष्ट्रीय गृह बैंकिंग योजना
- स्वच्छ व एकीकृत कर ढांचा
- 2002 मनी लॉण्ड्रिंग एक्ट
- कर चोरी हेतु कठोर दण्ड की व्यवस्था
- द्विपक्षीय संधियां (जर्मनी, फ्रांस)
  M.B. शाह समिति, SIT का गठन

(अन्य)

- राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता व मूल्य-परक राजनीति का विकास
- समस्त उद्योगपति, नेता, अधिकारी व अन्य अपनी आय का ब्यौरा नेट पर दें
- कर वसूली प्रक्रिया का सरलीकरण
- स्वैच्छिक घोषणा योजना (1997) को प्रोत्साहन
- उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रतिस्थापन

निष्कर्ष

'बाल श्रम : शिकंजे में बचपन'

कहा जाता है कि 'आज के बच्चे कल के भविष्य हैं', किंतु यह भविष्य तब अंधकारमय दिखने लगता है, जब कहीं दूर कारखाने के शोर में या महानगरीय कचरे के ढेर में बाल हथेलियाँ अपने सपने और आँसू पोंछने के लिए विवश हो उठती हैं। समाज और सरकार दोनों ने बालश्रम की समस्या को गम्भीरता से नही लिया, परिणाम स्वरूप आज भी विश्व में लगभग 40 करोड़ बाल श्रमिक अपना बचपन बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किंतु वर्ष 2014 में घोषित शांति के नोबल पुरस्कार ने एक बार पुन: समाज व सरकार का ध्यान खींचा है तथा बालमन में एक सुनहरे भविष्य की आशायें भर दी हैं।

परिभाषा →

"बालश्रम का अर्थ उस कार्य से है जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से कम होता है।"

"वह कार्य जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता व गरिमा से वंचित करता है, वह कार्य जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व नैतिक रूप से बच्चों के लिए हानिकारक हो या वह कार्य जो शैक्षिक कार्य में बाधा उत्पन्न करता हो तथा किसी भी प्रकार से उनके स्वस्थ्य बचपन के अनुभव को प्राप्त करने में हस्तक्षेप करता हो।"

वर्तमान स्थिति ⇒

* विश्व में 40 करोड़ बाल श्रमिक
* हर चौथा बाल श्रमिक भारतीय है
* सर्वाधिक बाल श्रमिक ⇒ भारत में हैं।
* 50 लाख बाल श्रमिक ईंट भट्ठे पर
* 10 करोड़ 6-14 वर्ष वाले असंगठित क्षेत्र
  ↳ 20% घरेलू में, शेष व्यावसायिक में
* सर्वाधिक बाल श्रमिक → आंध्र ① उ०प्र० ②
* GDP में 20% श्रमिक योगदान
  ↳ इसका 70% बाल श्रम का
* औसतन 7 घंटे कार्य, 13 रु० प्रतिदिन मजदूरी

कारण

- जनाधिक्य व गरीबी की समस्या
- निरक्षरता व संरक्षकों की जागरूकता का अभाव
- परिवार का बड़ा आकार
- भू स्वामियों, उद्योगपतियों का निहित स्वार्थ
- सस्ता बाल श्रम
- अल्पायु में विवाह का होना
- बाल मजदूर युनियन का अधिकार न होना
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अभाव
- विकासशील देशों में गरीबी, प्राकृतिक आपदा इत्यादि की समस्या
- शिक्षा व्यवस्था की भयपूर्ण व प्रतिकूल परिस्थितियाँ

नियोजन-क्षेत्रक ⇒

* ईंट-भट्ठा, बीड़ी उद्योग, कांच उद्योग, बागानी क्षेत्रों में, चिकित्सा क्षेत्र, खनन, चमड़ा जैसे अन्य संगठित उद्योगों में
* चाय की दुकान, ढाबा, छोटी दुकानों कृषि श्रमिक, फेरी वाले, घरेलू नौकर रेल व बस स्टेशन, फुटपाथ etc पर

के रूप में ⇒ असंगठित क्षेत्रों में

* शराब, ड्रग्स, तस्करी, अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे संगठित अपराध के क्षेत्र में
* भीख मांगना, चोरी, डकैती, जासूसी इत्यादि जैसे असंगठित अपराध में
* पारिवारिक व्यवसाय के क्षेत्र में

प्रभाव

- स्वास्थ्य
  - शारीरिक - अपंगता, कुपोषण, टी॰वी॰ व अन्य बिमारियां
  - मानसिक - व्यक्तित्व के विकास का अभाव
- आर्थिक ⇒
  - अकुशल मानव पूंजी में वृद्धि
  - राष्ट्रीय विकास पर दूरगामी प्रभाव नकारात्मक होगा
  - दुर्घटनाओं में वृद्धि
  - नवोन्मेषन की कमी होगी
- समाज व सांस्कृतिक ⇒
  - परिवार का प्रारम्भिक ढांचा बिगड़ेगा
  - सामाजिक अपराधों में वृद्धि
  - स्वस्थ नागरिकों का अभाव
  - निरक्षर व अयोग्य माता-पिता की पीढ़ी तैयार होगी
  - बालिकायें यौन उत्पीड़न का शिकार
  - वेश्यावृत्ति, बाल-विवाह, शारीरिक प्रताड़ना इत्यादि में वृद्धि
- राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय
  - बाल तस्करी का व्यापक ढांचा
  - मानवाधिकारों, बाल अधिकारों का हनन, WTO के श्रम व

- पर्यावरण मानकों का उल्लंघन
- बाल संरक्षण की राजनीति
  - → संरक्षण के नाम पर तुष्टीकरण
- आतंकवादी व अपराधी घटनाओं को बढ़ावा इत्यादि

संवैधानिक स्थिति →

- 14 वर्ष से कम आयु के श्रम पर प्रतिबंध
- अनु॰ - 24, 39(ङ॰)(च), अनु॰ - 21
- अनु - 45, अनु॰ 51(ट) में इससे सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख है।

- 1919 में I.L.O. का गठन, 1924 जिनेवा घोषणा
- 1946 में युनीसेफ का गठन

कानूनी प्रावधान →

- 1881 में कारखाना अधिनियम
- 1986 में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम
- 1975 में राष्ट्रीय बाल बोर्ड
- IPC की धारा 125 व 82
- 2001 में नि:शुल्क चाइल्ड फोन सेवा
- 2000 किशोर न्याय अधिनियम
- 2002 में द्वितीय श्रम आयोग की रिपोर्ट
- 2014 का शांति का नोबल (कैलाश सत्यार्थी व मलाला युसुफजई को)

निष्कर्ष

बाल श्रम वर्तमान व्यवस्था की समृद्धि व विकास के बढ़ते मानकों पर एक काला धब्बा है। यदि ईमानदारी व दृढ़तापूर्वक समाज तथा सरकारें मिलकर इससे निपटने का उपाय करें तो बालकों को असमय श्रमिक बनने से रोका जा सकता है और पं॰ नेहरू का यह सपना कि - 'मैं हिन्दुस्तान के प्रत्येक बच्चे में भारत की तकदीर देखता हूँ', साकार हो सकेगा।

'आपदा प्रबन्धन : एक चुनौती'

कल-कल करती नदियों की मधुरिमा हो या रिमझिम बारिश की फुहारें अथवा वातायन की मधु-मदिर समीर, किसे नहीं सुहाती। परन्तु जब यही हुदहुद की विनाशक गर्जना और झेलम की उफनायी प्रचण्ड लहरों का त्रासद रूप धर लेती हैं तो सबके कलेजे दो टूक हो जाते हैं। वर्तमान परिदृश्य में भारत समेत विश्व का एक बड़ा भू-भाग बहुरूपी आपदाओं को झेलने हेतु बाध्य है। ऐसे में सरकार और आम जन एक बहुमुखी रणनीति बनाकर ही आपसी सहयोग के द्वारा इस विपत्ति का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं।

परिभाषा → * प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों से जनित ऐसी आकस्मिक घटना जो सम्पूर्ण व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर व्यापक स्तर पर दुष्प्रभावित करती है, आपदा कहलाती है।

* आपदा व समस्या दोनों अलग हैं → संक्षिप्त रूप में लिखें

विश्व के प्रमुख निकाय जो आपदा-प्रबन्धन से जुड़े हैं — इंटरनेशनल एसोसियसन ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट (IAEM)
इंटरनेशनल रिकवरी प्लेटफार्म (IRP)
रेड क्रास / रेड क्रीसेण्ट, UNO

प्रबन्धन के नियम

- इसे व्यापक बनाना चाहिये
- इसे प्रगतिशील होना चाहिये
- यह जोखिम केन्द्रित होना चाहिये
- यह समन्वित होना चाहिये
- यह सहभागिता पर आधारित होगा
- यह तालमेल युक्त होना चाहिये
- यह लचीला होना चाहिये
- यह पेशेवर होना चाहिये

* आपदा - प्रबन्धन की रणनीति को तंत्र स्थानीय सहयो-ग के साथ दो आयामों पर अपना सकता है —

प्रबन्धन की रणनीति
- अल्पकालिक रणनीति
- दीर्घ कालिक रणनीति

⇒ अल्पकालीन रणनीति
- यह आपदा आने के ठीक पूर्व अथवा पश्चात अपनायी जाती है।
- इसमें स्थानीय संसाधनों व लोगो की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
- यह आपदा के तत्कालिक प्रभावों को सीमित करने तथा नये विकल्पों को उपलब्ध कराने की रणनीति है।

⇒ दीर्घकालीन रणनीति
- यह आधारभूत संरचना तथा विकास मॉडल पर केन्द्रित है
- आपदा की सम्भाव्यता वाले क्षेत्रो हेतु विशेष रणनीति का ब्लूप्रिंट
- सरकार - नागरिक दोनो मिलकर एक स्थायी समाधान की तलाश करते हैं।

प्रबंधन की त्रिस्तरीय रणनीति
- आपदा के पूर्व
- आपदा के समय
- आपदा के पश्चात

आपदा के पूर्व की रणनीति
⇓
यह दीर्घकालिक होती है।

- विकास का इको-फ्रेंडली मॉडल
- आधारभूत संरचना का विकेंद्रित विकास (पुलिस, फायर स्टेशन, अस्पताल, परिवहन, संचार)
- जलवायु, मौसम व संसाधन सम्बन्धी आँकड़े व सूचना को एकत्र करना
- आपदा नियामक तंत्र का मॉडल तैयार करना
- नागरिक प्रशिक्षण व जन-जागरूकता
- प्रशासनिक कुशलता व चुस्ती, चेतावनी केंद्र
- वृक्षारोपण, आपदा राहत बलों का गठन etc.

आपदा के समय की रणनीति
⇓
यह अल्पकालिक होती है।

- राहत व बचाव कार्य
- स्थानीय लोगों व साधनों का प्रयोग
- पेयजल, खाद्य सामग्री, प्राथमिक चिकित्सा,
- कानून-व्यवस्था की बहाली
- महिलाओं, बच्चों, वृद्धों व असहायों के सहायतार्थ त्वरित कार्यवाही
- मनोबल की मजबूती इत्यादि

आपदा के पश्चात की रणनीति
⇓
यह अल्प व दीर्घ दोनों स्तरों पर होती है।

- नये सिरे से आधारभूत ढांचा बनाना
- रोजगार के नये विकल्पों का विकास
- शरणार्थियों का पुनर्वास
- संक्रामक बिमारियों से निपटान
- प्रभावित लोगों की आर्थिक सहायता
- अपराधी व अराजक तत्वों पर नियंत्रण
- कारणों की खोज ⇒ नयी रणनीति का विकास जिससे आपदा की बारम्बारता को रोका

सरकारी प्रयास

1954 ⇒ राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन

1995 ⇒ हनुमंत राव समिति → जल संभर विकास कार्यक्रम

2001 ⇒ प्राकृतिक आपदा नियंत्रण प्राधिकरण

2005 ⇒ आपदा प्रबन्धन अधिनियम

⇒ आपदा राहत बल, तटीय राहत बल,

⇒ आपदा प्रबन्धन तंत्र

अध्यक्ष	
प्रधानमंत्री	① NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथॉरिटी
मुख्यमंत्री	② SDMA स्टेट ,, ,, ,,
जिलाधीश	③ DDMA डिस्ट्रिक्ट ,, ,, ,,
सरपंच	④ VDMA विलेज ,, ,, ,,

⇒ आपदा राहत कोष का गठन

⇒ अन्य वित्तीय सहायता व अनुदान

अत: आपदा ऐसी अप्रत्याशित दुर्घटना है जो जन-धन विनाश के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से सम्पूर्ण राष्ट्र को झकझोर कर रख देती है। एक व्यवस्थित व बहुआयामी रणनीति तथा इकोफ्रेंडली विकास मॉडल को अपनाकर इस चुनौती से काफी हद तक निपटा जा सकता है। नयी तकनीकों के विकास ने भी इस दिशा में सकारात्मक परिवर्तन किया है। यद्यपि आपदा को मानव द्वारा पूर्णतया रोका तो नही जा सकता किंतु उचित प्रबन्धन की रणनीति इसके विनाशकारी प्रभावों को क्षीण अवश्य कर सकती है, यह वैश्विक प्रसन्नता की दिशा में प्रगतिशील कदम होगा।

(टि)⇒ यथोचित जगह पर तथ्यों, मानचित्र, हलिमा उदाहरणों का प्रयोग करें।

भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियाँ

विज्ञान वस्तुतः मानव समाज के विकास व उन्नति की ललक, आवश्यकताओं की पूर्ति को लक्षित किये हुये उसकी नवोन्मेषन क्षमता की तार्किक परिणति है। क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान के ढांचे मे ढली इस विधा ने भारत राष्ट्र को उसके प्राचीन जगत-गुरु के ताज से लेकर चन्द्रमा व मंगल की ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। आज इसी वैज्ञानिक उपलब्धियों का ही परिणाम है कि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था, उन्नत चिकित्सा पद्धति, व्यवस्थित निर्वाचन प्रक्रिया, आधारभूत ढांचे का विकास व अन्य जीवनोपयोगी वस्तुयें अपने नागरिकों को उपलब्ध कराने में सफल रहा।

इतिहास के आईने में

- पाषाणकालीन हैंड एक्स, चॉपर-चापिंग क्लीनर, सामूहिक जीवन पद्धति etc
- हड़प्पा की बाट-माप (16 के गुणांक में) नगर-नियोजन, सफायी, परिवहन, मुद्रा ईंटों की संरचना, वर्गीय विभाजन etc.
- वैदिक व्याकरण, साहित्य, कृषि यंत्र
- लौह प्रयोग (अतरंजीखेड़ा 1200 B.C.), स्पष्ट राजनीतिक व्यवस्था का उदय, लिपि-लेखन का वि
- औषधि चिकित्सा (चरक संहिता), शल्य चिकित्सा (सुश्रुत संहिता), पाई π, दशमलव, ज्योतिष, खगोलिकी etc
- कनिष्क काल में - चूना-सुर्खी, मेहराबों का प्रयोग, धातुकर्म (मेहरौली का लौह-स्तम्भ
- उन्नत विदेशी व्यापार (जहाजरानी उद्योग)
- उन्नत प्रस्तर कला → अशोक के स्तम्भ

- रहट, रकाब, जलघड़ी, जयसिंह की वेधशालायें
- खड़ी बोली, उर्दू, धर्म की वैज्ञानिकता (कबीर)
- संगीत की उपलब्धियां - वाद्य यंत्र, नये रागों कव्वाली जैसी नयी विधाओं, ग्रंथों की उपलब्धता

(इ) ब्रिटिश काल में भारत का वैज्ञानिक विकास अवरुद्ध हुआ रेल, डाक, तार, छापाखाना जैसी चीजें नयी पनपीं लेकिन एक हद तक इसका श्रेय भारतीयों को न जाकर यूरोपीयों को गया। तथापि, इस काल में भी सत्येन्द्र बोस (बोस -आइंसटीन थ्योरी), जगदीश चंद्र बसु (पेड़-पौधों में जीवन, बेतार) डा० हरगोविन्द खुराना (चिकित्सा), डॉ० सी०वी० रमन (रमन इफेक्ट) चन्द्रशेखर (ब्लैक होल) इत्यादि जैसी प्रतिभायें थीं किन्तु सही प्लेटफार्म न होने के कारण भारत उनकी पूरी क्षमता का उपयोग नही कर सका। ध्यातव्य है कि इस काल में राजनीति, साहित्य इत्यादि क्षेत्रों में तथा सूती वस्त्र क्षेत्र में नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण जरूर विक-सित हुआ। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1907 में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी (IMS), 1917 में बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता, 1942 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जैसे महत्वपूर्ण पायदान अवश्य भारत के खाते में आये।

1947 के पश्चात

- 4 मार्च 1958 को भारत की वैज्ञानिक नीति
- संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास का संकल्प
- वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय की स्थापना 1951 में
- 1983 में, 3 जनवरी नयी विज्ञान नीति

- 1993 में नयी विज्ञान नीति
- 2003 व 2013 में पुन: विज्ञान नीति की घोषणा

* कृषि क्षेत्र – हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, मत्स्य संवर्धन, कपास की पहली संकर किस्म, कृषियंत्र
* ऊर्जा क्षेत्र – तेल, कोल, गैस खनन की तकनीक नवीकरणीय ऊर्जा के नये क्षेत्र – सौर, पवन, भूतापीय ONGC, OIL, GAIL का विकास इत्यादि
* नाभिकीय क्षेत्र – परमाणु, हाइड्रोजन बम का विकास चिकित्सा की नयी पद्धतियों का विकास, नाभि-कीय ऊर्जा का विकास (परमाणु रिएक्टर)
  बार्क, IGCAR, 1948 का परमाणु ऊर्जा आयोग
  1974 व 1998 में परमाणु विस्फोट
* अंतरिक्ष क्षेत्र – SLV, PSLV, GSLV का विकास संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण, GPS प्रणाली 'गगन' इनसेट प्रणाली का विकास → शिक्षा, संचार, TV, DTC, मौसम, कृषि, आपदा प्रबन्धन, सुरक्षा इत्यादि से जुड़ी समस्यायें हल हुयीं।

  {चंद्र मिशन, मंगल मिशन} का विशेष उल्लेख

* सूचना व संचार क्षेत्र – 1975 – इलेक्ट्रॉनिक्स वि. 1993 में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी पार्क, पुणे स्थित C-DAC का विकास, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सुपर कम्प्युटर परम् की सीरीज व IT क्षेत्र में भारत की मजबूत स्थिति
* प्रतिरक्षा – एकीकृत मिसाइल प्रणाली, अग्नि, ब्रह्मोस, पिनाका, नाग इत्यादि प्रक्षेपास्त्र मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, कार्तिक टैंक पुल हेतु, INS कोलकाता, INS विराट, INS अरिहंत का विकास, HAL, BHEL, भारत अर्थ मूवर्स लिमि-टेड, गार्डन रीच शिपयार्ड, इसरो, सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र इत्यादि का विकास

* चिकित्सा - टेलीमेडिसिन, शल्य क्रिया का क्षेत्र उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, जेनरिक दवाइयों का निर्माण, आयुर्वेद व चिकित्सा हेतु विश्व प्रसिद्ध, योग दर्शन का विकास

परिवर्तन ⇓ प्रभाव

- ⇒ आर्थिक क्षेत्र में
- ⇒ राजनीतिक क्षेत्र में
- ⇒ रक्षा - सुरक्षा के क्षेत्र में
- ⇒ विकास को गति देने की दृष्टि से
- ⇒ नीतिगत विस्तार में मदद
- ⇒ सुशासन की स्थापना में मदद
- ⇒ देशवासियों के जन जीवन को सुगम बनाने की दृष्टि से
- ⇒ आधुनिक विश्व विकास मॉडल का आधार

वास्तव में आज भारत ने अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बूते 'वसुधैव कुटुम्बकम' व सर्वे भवन्तु सुखिन: की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसके कारण जहां भारत ने आत्मनिर्भरता व स्वावलम्बन प्राप्त किया है वहीं विश्व - बिरादरी में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करायी है। भूखे पेट को रोटी देने से लेकर मंगल की यात्रा तथा सूई से लेकर ब्रह्मोस जैसे तकनीकी अविष्कार के सन्दर्भ में विज्ञान का सकारात्मक व व्यवहारिक प्रयोग कर भारत ने तीसरे विश्व के नेता के रूप में अपनी प्रासंगिकता व विकास की नयी आशायें, आकांक्षायें जगा दी हैं।

'मेक इन इंडिया'

प्रस्तावना

विनिर्माण क्षेत्र किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। मंदी जैसी स्थितियों से निपटने की एकमात्र कारगर दवा विनिर्माण क्षेत्र को गति देने की होती है। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश अपने उद्योग व निर्माण क्षेत्र को गति देकर अपार संसाधनों व सस्ते श्रमबल के दम पर न केवल वैश्विक विकास का इंजन बन सकते हैं बल्कि अपने घरेलू व वैश्विक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में मजबूत कदम उठा सकते हैं। इन्हीं उद्देश्यों व सम्भावनाओं के मद्देनजर भारत ने अपने महत्वाकांक्षी औद्योगिक उन्नयन की योजना 'मेक इन इण्डिया' के लिए विश्व पूंजी का आह्वान किया है।

घोषणा/लक्ष्य →

+ 25 Sep. 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू
+ वैश्विक पूंजी जगत का आह्वान
+ विदेशों से आर्थिक सम्बन्धों का विस्तार
+ वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र का हब बनाना
+ महाशक्तीय उभार को मजबूत करना
+ आधारभूत संरचना, रोजगार, निर्यात उत्पादन इत्यादि की स्थिति सुधारना
+ जनसंख्या का सफल नियोजन करना

स्वरूप →

- निवेश अनुकूल माहौल तैयार करना ऊर्जा, सुरक्षा, पुराने कानूनों को हटाना, श्रम सुधार, नया भूमि अधिग्रहण कानून, एकल विंडो क्लीयरेन्स, आयात-निर्यात शुल्क में छूट, GST को लागू करना,

स्किल्ड इंडिया का प्रयास, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, श्रमेव जयते कार्यक्रम कारोबारी विश्वास का माहौल तैयार करना, निवेश व निर्यात की नयी सम्भावनायें तलाशने का प्रयास, etc.

- इंस्पेक्टर राज की समाप्ति
- FDI की सीमा में वृद्धि

आवश्यकता ⇒

* विकासगति की निरन्तरता की चुनौती
* जनसंख्या को रोजगार देने की चुनौती
* वैश्विक मंचों पर मजबूत भागीदारी की जरूरत
* उद्योग क्षेत्र की मजबूती ⇒ आधुनिक विश्व-व्यवस्था की रीढ़ है
* चीन से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के लिए
* तीव्र वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भागी-दारी हेतु आवश्यक है।

अनुकूल परिस्थितियां

- कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता
- सस्ते श्रम बल की उपलब्धता
- मध्यवर्ग की मजबूत स्थिति
- क्रय-शक्ति-क्षमता में वृद्धि
- बाजार विस्तार की अपार सम्भावना
- व्यापारिक परिवहन की दृष्टि से अनुकूल स्थिति
- 'मेड इन इंडिया' उत्पादों हेतु विश्व-बाजार में विश्वास की स्थिति
- सस्ता 'स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स'
- स्थिर सरकार व सुशासन

सम्भावनायें →

* विश्व-बाजार में बढ़त बनेगी
* निर्यात में वृद्धि होगी वर्तमान में
  (निर्यात % - 1.64, कुल भागीदारी % -) [आयात - 2.5]
* उत्पादन के नये-नये द्वार खुलेंगे
* तकनीकी-विस्तार में मदद
* करोड़ों रोजगार का सृजन
* विदेशी पूंजी की आवक बढ़ेगी
* नीतिगत विस्तार में मदद मिलेगी

लाभ क्षेत्रक

(कृषि) → प्राथमिक → विपणन, उत्पादन में लाभ
कृषि-उत्पादों हेतु विश्व-बाजार की उपलब्धता,
रोजगार हेतु नयी सम्भावनाओं से कृषि
में प्रच्छन्न बेरोजगारी घटेगी

(उद्योग) → औद्योगिक मजबूती, आय का विस्तार
द्वितीयक → उद्यमिता को प्रोत्साहन, कच्चे माल
पूंजी, तकनीक का समुचित दोहन
वैश्विक कॉरपोरेट नेटवर्क में मजबूत
भागीदारी, औद्योगिक आत्मनिर्भरता,
निर्यातक देश के रूप में पहचान

(सेवा) → तृतीयक → स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स को
रोजगार, IT, Call Center, परा-
मर्श देने वाली, कानूनी सेवायें
उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को बल
शिक्षा क्षेत्र का विस्तार
प्रतिभा पलायन को रोकने में मदद

(समाज) →
- सकारात्मक माहौल का निर्माण
- आयवृद्धि से खुशहाली, बचत को प्रोत्साहन
- सामाजिक अपराधों में गिरावट

घरेलू व विदेश नीति ⇒
- देश में शांति, स्थिरता का वातावरण
- हिंसा, अपराध etc. में कमी होगी
- आधारभूत संरचना व सुविधा का विस्तार होगा
- विदेशों से सम्बन्धों में तेजी आयेगी
- वैश्विक लक्ष्यों (UNO में सीट, आर्थिक फ़ोरम में दावेदारी, लॉबिंग) की बढ़त में मददगार इत्यादि

बाधायें ⇒
* सुरक्षा सम्बन्धी दिक्कतें
* प्रशासनिक अकुशलता व भ्रष्टाचार
* गुणवत्ता का अभाव
* कानूनी पेचीदगियाँ
* कर ढांचे की समस्यायें
* भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी अड़चनें
* ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियां
* पर्यावरणीय चुनौतियों में वृद्धि

सुझाव ⇒
+ आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया तीव्र हो
+ विदेशों में FDI नीति, निवेश व फायदे का प्रचार-प्रसार
+ प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों को गुणवत्ता परक बनाने पर जोर दिया जाये
+ कच्चे माल के आयात व विनिर्मित उत्पादों के निर्यात पर छूट की सुविधा
+ कम्प्युटर व इंटरनेट के प्रयोग से पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाय
+ मुक्त व्यापार समझौता, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, वीजा सुविधा etc में छूट

निष्कर्ष

'स्वच्छ भारत मिशन'

सोने, हीरे-मोती उगलने वाली मेरे देश की धरती के ऊपर जब एक कवि ने यह कहकर व्यंग्य किया, कि 'कूड़ा उगले, कचरा उगले, उगले खेती परती, मेरे देश की धरती', तो हमारे समक्ष भारत राष्ट्र की ऐसी तस्वीर उभरी जिसमें बजबजाती हुयी नालियां, सड़क पर बिखरे कूड़े के ढेर, उसमें कचरा बीनते हमारे बाल-धन, सिर पर मैले की टोकरी उठाये एक वृद्ध और बेफिक्री से पान की पीक थूकते एक जिम्मेदार नागरिक की झलक दिखायी दे रही थी। पर हमारे पावन देश का यह हाल हुआ क्यूं ? तो कारणों की सूईयाँ राजनीतिक-प्रशासनिक इच्छाशक्ति और आम-जन की जिम्मेदारी पर आकर ठहर गयीं।

प्रारम्भ ⇒

- 2 Oct 2014 – गाँधी जयंती पर
- 1986 में केंद्र का असफल प्रयास
- 2 Oct 2014 - 2019 - स्वच्छ भारत का लक्ष्य
- दिल्ली की वाल्मिकि बस्ती से प्रधा॰ द्वारा
- सारे मंत्रालयों को निर्देश एवं जन-भागीदारी हेतु व्यापक जागरुकता कार्यक्रम
- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की ओर से शपथ तैयार – सप्ताह में 2, वर्ष में सौ घंटे

आवश्यकता ⇒

⇒ स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ⇒ 90% बिमारियां 65% ग्रामीण, 13% शहरी आबादी को खुले में शौच संक्रमण, शिशु-मातृत्व मृत्यु दर, अस्वास्थकर वातावरण

⇒ गन्दगी वाली मनोवृत्ति व सामाजिकता

⇒ पर्यटन पर बुरा प्रभाव ⇒ विदेशों के विपरीत

⇒ कूड़े को संसाधन बनाने की आवश्यकता

⇒ 'स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत' की मंशा

योजना क्या है? ⇒

2019 तक 2 लाख करोड़ का खर्च
20 लाख हर साल 2.47 लाख पंचायतों को
4041 शहरों को अभियान के दायरे में

(पिछले 6 दशकों से अभाव) राजनीतिक इच्छाशक्ति

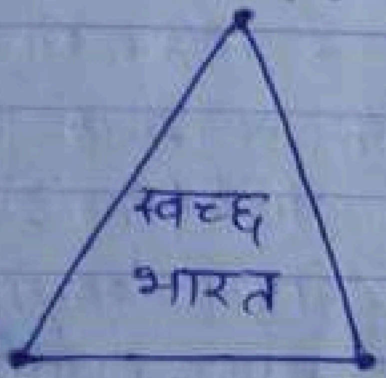

'स्वच्छता का त्रिकोण'

प्रशासनिक सहयोग
⇓
स्थानीय निकायों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका

आम-जन की भागीदारी } गंदगी एक मानसिक व सामाजिक समस्या है।

लक्ष्य कहाँ है?

- सम्पूर्ण देश की भागीदारी हो
- स्वच्छता के महत्व से परिचित कराकर ⇒ स्वच्छ मनोवृत्ति का विकास
- गाँव - शहर, सड़क, अस्पताल, सार्वजनिक स्थान, ऑफिस, स्कूल इत्यादि की नियमित सफायी
- रोजगार, पर्यटन, स्वास्थ्य सुधार स्वच्छ कार्य-संस्कृति को बढ़ाया जाए
- कूड़े-कचरे को संसाधन मानकर उनकी उपयोगिता बढ़ायी जाय
- कूड़े के समाजशास्त्र को बदला जाय

स्वच्छता का अर्थशास्त्र

⇒ भारत में गंदगी के कारण प्रति व्यक्ति को प्रतिवर्ष 6500 की हानि - बीमारी
⇒ 2 लाख करोड़ का वित्तीय-नियोजन
⇒ बिजली उत्पादन, जैविक खाद पर्यटन का विकास, सड़क दुर्घटनाओं में कमी, बायोगैस उत्पादन

⇒ कूड़ा-निस्तारण उद्योग का विकास { पुनर्चक्रण, परिवहन
⇒ रोजगार सृजन

* गंदगी की सफाई वर्ग-विशेष की ही जिम्मेदारी → अस्पृश्यता, भेदभाव etc.
* सफाई के नैतिक बोध का ह्रास

कूड़े का समाजशास्त्र

* शिक्षित व सवर्ण समाज स्वच्छता-कर्म को हेय दृष्टि से देखता है
* 'पीपुल-टु-पीपुल' सहयोग, भागीदारी व सकारात्मक तथा उत्तरदायित्व पूर्ण मनोवृत्ति के विकास का प्रयास किया जा रहा है।

स्वच्छता व आम नागरिक

⇒ स्वास्थ्य के बिंदु पर परिवर्तन
⇒ जागरूक समाज का निर्माण
⇒ नवरत्न - आमिर खान, तारक मेहता, सचिन, कमल हासन, अनिल अम्बानी, शशी थरूर, रामदेव बाबा, मृदुला सिन्हा, प्रियंका चोपड़ा को जोड़कर
⇒ जन भागीदारी ⇒ लोकतंत्र व स्वशासन की मूल भावना के अनुकूल
⇒ सोशल मीडिया, संचार के अन्य साधनों का प्रयोग

निस्तारण कैसे हो ?

+ नगरपालिका, पंचायतों, सफाई कर्मियों व जन सहयोग की चेन बने
+ गली, मोहल्ला, रेल, सड़क, स्कूल, ऑफिस में जगह-2 कूड़ेदान की व्यवस्था
+ अलग-अलग गुणवत्ता वाले कूड़े को छाँट कर उनका उचित निस्तारण
+ नारावता गाँव (म० प्र०) यूनीसेफ से स्वच्छता का प्रमाणपत्र

कौन

अन्य + सुझा

के जा है, पर्व पहन भी थे भार

थैला लाने पर छूट ↑   कूड़े का विकेंद्रीकरण → निपटान ↑

+ आंध्र की सूर्यापेट व बार्शिली पंचायत का उदाहरण

+ इकोफ्रेंडली निस्तारण का प्रबन्ध

11वीं सूची - 23वां स्थान

कौन करे ?

- जिला नियोजन समिति व पंचायतों का विषय
- आम नागरिक → स्वच्छता को हीन कर्म न माने
- तंत्र की इच्छाशक्ति मजबूती से उभरे
- औद्योगिक जगत अपनी भागीदारी करे
- वैज्ञानिक समुदाय सस्ती, सुलभ व इकोफ्रेंडली तकनीक उपलब्ध कराये
- 'कूड़ा मंत्रालय' का गठन किया जाय

अन्य + सुझाव

ब्राजील, यूरोप, अमेरिका में भी व्यवस्था थी।
गाँधी ने इसे भगवान के बाद दूसरा स्थान दिया
पी कैप व झाड़ू फैशन न बनने पाये
शिक्षित व अभिजात्य वर्ग सामने आये
बायोडिग्रेडिबल उत्पादनों हेतु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाय
स्थानीय निकायों को सब्सिडी दी जाय व उनके कार्यों की ऑडिट हो

उप॰ जैसा कि न्यूयार्क के मेडिसिन स्क्वायर में सम्बोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि, 'अगर भारत मंगल जा सकता है तो वह अपने देश को साफ भी कर सकता है', साकार हो सकती है। इस अभियान को सफल पर्व बनाने व प्रधानमंत्री जी की भावना को अमली जामा पहनाने के लिए भावुकता के साथ-साथ व्यवहारिकता की भी आवश्यकता है। ऐसा होने पर ही हम साफ मन से सच्ची पहल कर सकेंगे और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत का निर्माण कर पायेंगे।

'भारतीय कृषि की समस्यायें'

मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती जैसी गुणवत्ता वाली शक्ति के रूप में भारत की कृषि यहाँ के अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। खाद्यान्न उपलब्ध कराने, रोजगार देने व उद्योगों को कच्चा माल देने की दृष्टि से लाभकारी कृषि की स्तुति भारतीय जनमानस ने 'अन्न देवताभ्याम् नमः', 'पृथ्वी देव्यौ नमः' कहकर की। किंतु आज फैलते कंक्रीट के जंगलों, उद्योगों के विस्तार, जहरीले रसायनों के प्रयोग व जनाधिक्य ने कृषि व अन्न देवता दोनों की कमर तोड़ दी है। प्राकृतिक आपदाओं व जलवायु परिवर्तन के संकट ने इस कोढ़ में खाज बढ़ाने का काम किया है।

समस्या →
- उत्पादन के स्तर पर
- भण्डारण के स्तर पर
- विपणन के स्तर पर
- अन्य प्रकार की समस्यायें

उत्पादन ⇒

- भूमि ⇒ गुणवत्ता का ह्रास, रकबे में कमी, अपरदन, जोतों मरुस्थलीकरण, उद्योग व जन-विस्तार, रसायनों का प्रयोग, जलभराव से लवणता व क्षारीयता में वृ
- जल-प्रबन्धन ⇒ मानसून पर निर्भरता, असिंचित क्षेत्र लगभग मिट्टी की जल धारण क्षमता में कमी, भूमि जल का गिरता स्तर, झील, ताल, गड्ढों नहरों, नलकूपों का अपर्याप्त विस्तार नदियों में जल की कमी, समय पर सिंचा
- खाद-बीज ⇒ रसायनिक खादों का दुष्प्रभाव उन्नत, रोग व पानी, पाला प्रतिरोधी बीज किस्मों का अभाव

महंगे व संकर (केवल 1 बार उपयोगी) बीजों के कारण
- किसानों की पहुंच से बाहर

- फसल-किस्में ⇒ विविधीकरण का अभाव, फसल चक्र की अनियमितता, उन्नत किस्मों की कम पैदावार प्रति हेक्टेयर कम उत्पादकता (विकसित देशों के मुकाबले 1/2, 1/3, 1/4 तक की उत्पादकता)

- रोगों की समस्या ⇒ कीट, फफूंद, वायरस, चूहों, जानवरों इत्यादि के कारण फसलों का नुकसान, नये बीजों के साथ नयी रोग किस्मों का विकास

- आपदायें ⇒ पहाड़ी क्षेत्रों में - भूस्खलन
  मैदानी क्षेत्रो में - बाढ़, सूखा etc.
  तटीय क्षेत्रों में - चक्रवात, सुनामी etc.

- तकनीकीकरण ⇒ महंगे कृषि यंत्र, अमीर किसानों को लाभ छोटे व सीमांत किसानो को नही बाजार पर निर्भरता बढ़ी क्योंकि तकनीक के आने से पारम्परिक पशुपालन हतोत्साहित

- लागत में वृद्धि ⇒ खाद, बीज, सिंचायी, मजदूरी, परिवहन भण्डारण इत्यादि में मुद्रास्फीति के कारण मंहगायी आयी जबकि सापेक्षिक रूप से खाद्यान्न की कीमतें उतनी नही बढ़ीं

न, जोतों का छोटा आकार
ाधनों
ीयता में वृद्धि
ेत्र लगभग 1/2
मी,
ाल, गड्ढों में कमी
य पर सिंचाई का प्रभाव
ोधी बीज

भण्डारण ⇒
- शीतगृहों की कमी
- प्रशासनिक लापरवाही, भ्रष्टाचार
- उचित व अनुकूल भण्डारण की कमी
- भण्डारण - लागत में वृद्धि → अलाभकारी
- फलों, सब्जियों के गुणवत्ता पूर्ण भण्डारण - व्यवस्था का अभाव
- रोगों, चूहों, दीपक etc. से बचाव की समुचित व्यवस्था का न होना

- आधारभूत संरचना व सप्लायी चेन की कमी
- मूल्यों के असंतुलन - गिरावट की समस्या
- जमाखोरी, कालाबाजारी व इंस्पेक्टर राज
- समय पर आपूर्ति का न होना ⇒ सीधे मुनाफे पर प्रभाव

विपणन ⇒

- मजबूत बिचौलिये तंत्र की उपस्थिति
- अंतराष्ट्रीय बाजार तक निर्बाध पहुंच का अभाव
- क्रय-विक्रय केंद्रों की अव्यवस्था, भ्रष्टाचार etc

- WTO व विकसित देशों की एकांगी नीतियां
- सब्सिडी ⇒ ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स
- जनसंख्या का अधिक दबाव ⇒ प्रच्छन्न बेरोजगारी
- सरकारी सहमता का अभाव (अल्प प्रयास)

अन्य ⇒

जैसे - MSP का केवल 32 फसलों पर लागू होना
फसल-बीमा का सारी फसलों पर न होना
दुर्घटना से बचाव की कोई व्यवस्था न होना
जागरूकता व प्रशिक्षण की कमी
कर्जमाफी की नियमित व्यवस्था का न

- वित्त-व्यवस्था ⇒
  - कृषि क्षेत्र में SHG की कमी
  - सहकारी संस्थाओं का अभाव
  - लघुवित्त व स्थानीय वित्त अनुपलब्धता
  - महाजनों, सूदखोरों की
- कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों का न होने से लाभ में कमी व मौसमी बेरोजगारी की स्थिति, आत्मनिर्भरता नहीं हो पायी
- परम्परागत कृषि की व्यवस्था, किसानों का शि... जागरूक न होना भी एक बड़ी बाधा है
- सहकारी कृषि का अभाव

क्या होना चाहिये? →

- भूमि-प्रबन्धन, चकबन्दी की व्यवस्था
- कृषि भूमि की सुरक्षा
- वृक्षारोपण → अपरदन रुकेगा
- पर्याप्त सिंचायी सुविधाओं का विस्तार
- भण्डारण व विपणन की व्यवस्था
- कृषि आधारित लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना
- वित्त की सहायता का प्रबन्ध
- किसानों की सीधी पहुँच बाजार तक हो
- MSP, फसल-बीमा, लक्षित कर्जमाफी KCC, लघु वित्त, SHG, सहकारी कृषि को बढ़ाया जाय
- उन्नत बीज, जैविक खाद, तकनीक दवाओं etc. की व्यवस्था की जाय

"जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर,
तुझे बुलाता कृषक अधीर,
हे विप्लव के वीर;
चूस लिया है उसका सार
हाड़ मात्र ही है आधार
हे जीवन के पारावार।"

यद्यपि, भारतीय कृषि की वर्तमान दशा क्षुब्धकारी है किंतु यह विकास की अनन्त सम्भावनाओं को भी स्वयं में समेटे है। यदि समावेशी, बाजार आधारित व जैविक कृषि का ढाँचा तैयार किया जाय तो जहाँ देश की जी०डी०पी० व अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा, वहीं रोजगार व कच्चे माल के स्त्रोत का नया द्वार भी खुलेगा। साथ ही, एक बार पुनः पृथ्वी कनक शस्य कमल धरेगी और कोई होरी किसान से मजदूर बनने को विवश नहीं होगा, न ही सूदखोरी व नव साम्राज्यवादी व्यवस्था के तिलस्म में फँसकर काल के गाल में समायेगा।

अभिव्यक्ति की आजादी Vs सोशल मीडिया

अभिव्यक्ति की आजादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी नागरिक के अधिकारों व कर्त्तव्यों के मध्य सन्तुलन स्थापित करके राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सार्थक, सकारात्मक व सक्रिय भागीदारी की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी मंशा के अनुरूप संविधान निर्माताओं ने इस अहम अधिकार को मूल अधिकार का सुरक्षा कवच पहनाया था। इस अधिकार को उत्साह के पंख तब लगी जब सोशल मीडिया के रूप में इसे प्रसार का प्राद्योगिकी आधार मिला। किंतु प्रच्छन्न रूप से इसने कतिपय विकृतियों को भी जन्म दिया जिसे राष्ट्रीय पटल पर उभरे हालिया विवादों के क्रम में देखा जा सकता है, परिणामत: इस महत्वपूर्ण अधिकार पर संकट के बादल भी उत्पन्न हुये।

आशय

- फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, वी-चैट, आर्कुट etc. अर्थात् इन तकनीकी रास्तों ने विचारों के सम्प्रेषण को तीव्र व द्रुतगामी बना दिया। आज इनकी इनकी व्यापकता 'यत्र-तत्र-सर्वत्र' है जिससे आम लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति व प्रसारण में सुविधा हुयी है।
- अभिव्यक्ति अर्थात् स्वयं के मौलिक विचार इन विचारों का स्वतंत्रतापूर्वक सार्वजनिक प्रसारण ही अभिव्यक्ति की आजादी है।

संवैधानिक व्यवस्था

अनु॰-19(क) सभी नागरिकों को
(क) वाक् स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य
किन्तु, कोई बात इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध

निर्बन्धन — उद्दीपन के सम्बन्ध में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि आरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी

IT Act 2000
↓
धारा 66 A को 2008 में संशोधन करके जोड़ा गया।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम - 2000 की धारा 66 A के तहत् कम्प्युटर या किसी भी प्रकार के संचार उपकरणों के माध्यम से निहायत आपत्तिजनक या खतरनाक संदेश भेजने पर प्रतिबंध लगाती है।

→ उक्त उल्लंघन पर 3 वर्ष की कैद अथवा जुर्माना अथवा दोनो हो सकती है

भारतीय दंड संहिता - IPC } धारा 153 तथा धारा 505 में 66 A जैसे ही प्रावधान किये गये हैं।

प्रमुख घटनायें →

→ 2014 आम चुनाव में मुख्य प्रचार में भूमिका
→ 2011 के ट्युनीशिया की चमेली क्रांति में मुख्य भूमिका सोशल ↱ मेंहदी मसरूर विश्वास
→ ISIS के हथियार के रूप में चर्चित
→ 10 Sep. 2012 असीम त्रिवेदी को कार्टून (संविधान का) मामले में गिरफ्तार किया गया
→ 19 Nov. 2012 थाणे में शाहीन व रेणु श्रीनिवासन को बाल ठाकरे की मृत्यु के विरोध में मुम्बई बंद पर टिप्पणी मामले में गिरफ्तार किया गया
→ 18 March 2015 को बरेली के एक छात्र को उ०प्र० के एक मंत्री के विरोध में आलोचना के आरोप में हिरासत में लिया गया।

* इन घटनाओं को राष्ट्रीय मीडिया की मुख्य धारा में जगह मिली। नागरिक संगठनों व आम जनता ने इस मामले में पुलिसिया कार्यवाही का तीव्र विरोध किया और मामला न्यायालय में गया क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार पर संकट था।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- 29 Nov. 2012 श्रेया सिंहल व अन्य vs भारत सरकार की जनहित याचिका दायर की गयी।
- 16 May 2013 ⇒ माननीय न्यायालय ने कहा कि धारा 66 A के तहत किसी को हिरासत में लेने से पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति ली जाय।
- 24 March 2015 को धारा 66 A निरस्त घोषित

66A रद्द करने के मुख्य आधार ⇒

* कानून की अस्पष्टता (अपराध हेतु)
* पुलिस द्वारा दुरूपयोग कर नागरिक उत्पीड़न
* अनु० 19 (1) क का उल्लंघन
* संवैधानिक प्रतिबन्धों से परे हटकर थी
* IPC व संविधान में युक्तियुक्त निर्बन्धन के कारण यह अप्रासंगिक थी
* मीडिया, आम जनता, बुद्धिजीवी समूहों व नागरिक संगठनो द्वारा कटु आलोचना

प्रासंगिकता ⇒

⇒ जनमत निर्माण हेतु
⇒ जानने व सूचना के अधिकार हेतु
⇒ अपने विचारों के अभिव्यक्ति हेतु
⇒ स्वस्थ विपक्ष का निर्माण व सरकार पर दबाव
⇒ लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के विस्तार व समावेशन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण
⇒ नागरिको को विभिन्न मुद्दों पर मंचों, NGO SHG इत्यादि द्वारा अपनी बात रखने हेतु

अभिव्यक्ति की आजादी

प्रतिबंध की आवश्यकता का कारण ⇒

- अलगाववादियों द्वारा दुरूपयोग
- दुष्प्रेरण के उद्देश्य से
- मान-सम्मान को क्षति कारित करने के उद्देश्य से
- राष्ट्रीय एकता-अखण्डता को क्षति
- धार्मिक भावनाओं को आहत करने हेतु
- सामाजिक समरसता व सौहार्द को क्षति कारित करने के दृष्टिकोण से
- अफवाह इत्यादि फैलाने से रोकने हेतु

लोकतंत्र एवं सोशल मीडिया

सकारात्मक

* जनमत निर्माण आसान हुआ है
* व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ी है
* प्रचार-प्रसार में बेहतर भूमिका
* चुनावों में सार्थक योगदान
* माहौल निर्माण में मददगार
* निर्णय प्रक्रिया में आम जनता के विचारों का समावेशन बढ़ा है
* पीपुल 2 पीपुल कान्टेक्ट की महत्वपूर्ण कड़ी है
* विचारों पर शीघ्र प्रतिक्रिया जानने में मदद मिली है।
* भौतिक दूरियाँ नगण्य हुयी हैं।

नकारात्मक

→ दुष्प्रचार व चरित्र हनन
→ सूचनाओं का दुरुपयोग
→ अफवाह फैलाकर कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ना
→ मँहगी होने के कारण, अशिक्षा व अजागरूकता के कारण नागरिकों द्वारा अनुप्रयोज्य

अंततः, अपने 'यत्र-तत्र-सर्वत्र' रूप में विश्व की भौगोलिक सीमाओं को पार कर सोशल मीडिया ने अभि-व्यक्ति की आजादी से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को नया आधार दिया है। विभिन्न समकालिक व प्रासंगिक मुद्दों पर जन-प्रतिक्रिया वस्तुतः लोकतंत्र के रक्त को स्वच्छ कर उसे जीवंत व प्रभावी बनाने में मददगार होगी। राष्ट्रहित में इस पर युक्तियुक्त निर्बन्धन तर्कसंगत है किंतु यह वाक् व अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के मूल्य पर नहीं हो सकता, संविधान-संरक्षक के फैसले ने इसी भावना को पुष्ट किया है —

"सोशल मीडिया की सुनो कहानी, ये तकनीक की नयी निशानी
भौतिक दूरी की बात पुरानी, निकलेगी जो बात जुबानी
फैलेगी अब कोने-कोने, नया सवेरा आया होने।"

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'

"बैठा बूढ़ा खेत पर, लिए सजल निज नैन,
मेहनत सारी लुट गयी, आये कैसे चैन।"

उक्त काव्य पंक्तियां भारतीय अन्नदाता की उस दारूण-दशा का चित्र खींचती हैं जिसने उनको किसी दैवीय अथवा भौतिक आपदा के कारण उनके जीवन भर की कमाई और सपनों के टूटते-रिसते मुहाने पर पहुँचा दिया है। यह स्थिति अन्नदाता के लिए मात्र फसलों की क्षति ही नहीं वरन् उनके टूटते हौसले व पथराई आंखों के साथ अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की भी करूण गाथा है। किसानों के इसी घाव को भरने के लिए सूर्यदेव के उत्तरायण होने के साथ ही लोहड़ी, संक्रान्ति, बिहू व पोंगल के अवसर पर केन्द्र सरकार ने उसे 'प्रधानमंत्री फसल-बीमा योजना' की सुरक्षा कवच का तोहफा दिया है।

मुख्य बिन्दु

- 13 जनवरी 2016 को घोषित, 18 फरवरी को म॰प्र॰ के सीहोर में मार्गदर्शिका जारी, 1 अप्रैल से लागू
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा को मिलाकर नयी योजना तैयार

'एक राष्ट्र व एक योजना' का द्योग

- पूर्व के मुकाबले प्रीमियम राशि में 10 गुना कमी
  पहले - 15%, अब → रबी 1½%, खरीफ 2% तथा बागानी में 5% की प्रीमियम राशि
- सभी कृषकों को बीमा योग्य मानना
  → ऋणग्रस्त हेतु अनिवार्य, शेष हेतु स्वैच्छिक
- 25% क्लेम का तुरंत भुगतान, शेष का बाद में
- अधिकतम भुगतान की सीमा समाप्त

23% वर्तमान फसल कवर को 50% तक ले जाना
13 करोड़ किसानों को लाभ, 8800 करोड़ खर्च

लक्ष्य व घटक

194.4 मि० हेक्टे० फसल रकबे को दायरे में लाना
→ आपदा, कीट व बीमारी की स्थिति में वित्तीय सहयोग व बीमा
→ कृषि निरंतरता हेतु कृषक आय में स्थायित्व लाना
→ नवप्रवर्तन व आधुनिकीकरण
→ कृषि में साख प्रवाह को सुनिश्चित करना

भुगतान व आकलन में तकनीकी आधार द्वारा तीव्रता

कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ⇒ सहकारिता व किसान कल्याण विभाग + राज्य एजेंसिया + चयनित बीमा कम्पनियाँ [भारतीय कृषि बीमा कंपनी + निजी क्षेत्र की चयनित कम्पनियाँ]

यूनिट आधारित आकलन के बजाय व्यक्ति आधारित आकलन

⇒ त्रिस्तरीय बीमा सुरक्षा कवर का ढांचा

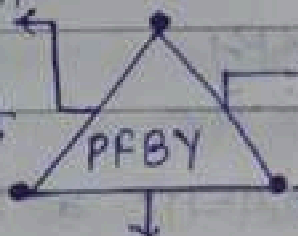

आवश्यकता

मात्र 13-14% तक ही GDP में योगदान
कृषि शोध पर GDP का मात्र 0.3% ही व्यय
रोजगार में 49% हिस्सा, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्रक, 55% आबादी निर्भर
100% खाद्यान्न व कच्चे माल का स्त्रोत
निर्यात में 11-12% तक, आयात - 3-3.5%
भारत में कृषि मानसून का जुआ है
प्रतिवर्ष आपदा से भारी नुकसान होता है
कम उत्पादकता के बावजूद समग्र उत्पादन में अग्रणी, वैश्विक खाद्यान्न निर्यातक इति

Date
Page

महत्व
- पृष्ठभूमि ⇒ कृषि समस्याओं व योगदान के संदर्भ में
- वर्तमान दशा ⇒ आपदा, आत्महत्या, अरुचि
- भावी सम्भावनायें [प्राथमिक क्षेत्र की]

प्रभाव

- * कृषि उत्पादन व आयात-निर्यात पर
  - उत्पादन → बढ़ेगा
  - आयात → घटेगा
  - निर्यात → बढ़ेगा
- विकास लक्ष्यों पर बढ़ेगा
  - पंचवर्षीय, 2020
  - सहस्त्राब्दी लक्ष्यों पर
- * सामाजिक - आर्थिक समस्यायें घटेंगी (पिछड़ापन, गरीबी, बेरोजगारी etc.)
- सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था व II & III क्षेत्र पर
- किसान ⇒ समृद्धि व खुशहाली
- अन्य
  - नगरीकरण पर
  - पलायन रुकेगा
  - सरकार की लोकप्रियता
  - जय किसान का भाव
  - राष्ट्रीय प्रसन्नता का विकास
  - मानव विकास सूचकांकों पर
- विकास पर
  - सब्सिडी पर
  - आय पर
  - बीमा क्षेत्रक का विस्तार
  - रोजगार सृजन
  - नया निवेश
  - GDP वृद्धि दर

अवरोधक

- भ्रष्टाचार व लीकेज की समस्या
- अनपढ़ व अजागरूक किसान
- बैंकिंग व बीमा ढांचे का मजबूत न होना
- जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां
- भारतीय कृषि 'मानसून का जुआ'

- अभी भी 50% क्षेत्र अछूता है
- किसान कर्ज जाल में उलझे हैं
- प्रच्छन्न व मौसमी बेरोजगारी अधिक है
- जनदबाव लगातार बना हुआ है
- ढांचागत सुविधाओं की कमी है
- मुआवजा उत्पादन का विकल्प नहीं हो सकता है।

सुझाव
- इस स्थिति में वैकल्पिक रोजगार ढांचे का विकास
- वैकल्पिक फसल योजना का खाका बने
- क्षमतावान फसल किस्मों पर शोध व विकास
- लोकल प्रशासन की जवाबदेही
- शिक्षित किसान, जागरूक किसान
- पारदर्शी व जिम्मेदार तंत्र का निर्माण

सम्भावनायें
* उत्पादन बढ़ेगा ⇒ भूख का हल निकलेगा
* 1/2 से अधिक आबादी लाभान्वित होगी
* आत्मनिर्भरता का विकास होगा
* निर्यात बढ़ेगा ⇒ विदेशी मुद्रा आयेगी
* घरेलू व वैश्विक नीतिगत विस्तार होगा
* II & III क्षेत्र विस्तारण में मदद मिलेगी
* भारत खाद्यान्न आपूर्तिकर्ता देश बनेगा

यद्यपि इस योजना ने किसानों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा किया है किन्तु अभी इस दिशा में मीलों चलना बाकी है। योजना के लोकप्रिय व लाभकारि बिन्दुओं ने अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में प्राथमिक क्षेत्र के समावेशन को बढ़ाने, उसके लाभों से देश को समृद्ध बनाने तथा सामाजिक-आर्थिक असंतोष दूर करके प्रगति पथ का प्रस्थान बिन्दु तय करने का कार्य किया है। यदि खेती लहलहायेगी, गाँव और किसान समृद्ध होंगें तो भारत अपना चहुँमुखी विकास करके वैश्विक खाद्य भण्डार का केन्द्र बनेगा, ऐसी प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है।

'सहिष्णुता बनाम असहिष्णुता'

'वसुधैव कुटुम्बकम्' के उदात्त आदर्शों की प्राणवायु को हृदयांगम करते हुए देवभूमि भारत के प्रांगण में पनपी सामासिक संस्कृति का अनोखा वैशिष्ट्य पारस्परिक समभाव व समादर का रहा है। अशोक, अकबर व गाँधी जैसे इतिहास-निर्माताओं की महा-नता का पुष्प इसी साझे भाव-भूमि पर पनपा और इसकी सुगंध ने सारे जगत के स्नायु-तंत्रों में घृणा व द्वेष के अणुओं को प्रतिस्थापित करके उसमें ऊर्जस्वित सहनशीलता का संचार किया किंतु खेद का विषय है कि हाल के कतिपय विवाद व दूषित मनोवृत्ति ने भारतीय सांस्कृतिक गौरव के इसी भाव पर आज गम्भीर सवाल खड़े किये हैं, राष्ट्रीय पटल उद्वेलित है, भारती-पुत्र मत-मतान्तरों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के दौर में हैं। लेकिन सत्य का उद्घोष आज भी पांचजन्य से निनाद कर रहा है कि - 'एकं सद् विप्रः बहुधा वदन्ति', यह भारतीय राग है।

↓

परिभाषा व आशय → सहिष्णुता → सहनशीलता
अर्थात् "अपने से भिन्न अथवा विरोधी विचारधारा, मत, पंथ, मजहब, विश्वास इत्यादि के प्रति मतान्तर होने के बावजूद उनके प्रति सहनशीलता का भाव ही सहिष्णुता है।"

* भारत की बहुलवादी संस्कृति का पक्ष इस बात का द्योतक है कि यदि यहां पारस्परिक सहनशीलता का भाव न होता तो एक सामासिक संस्कृति का स्वरूप न विकसित हुआ होता।

Date
Page

वर्तमान विवाद की पृष्ठभूमि →
* कर्नाटक में कन्नड़ साहित्यकार कल-बुर्गी के हत्या की घटना
* अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष कर रहे महाराष्ट्र के नरेन्द्र दभोलकर की हत्या
* कथित रूप से गोमांस खाने के आरोप में दादरी का अखलाख हत्याकांड
* पुरस्कार वापसी विवाद
* विपक्ष व मीडिया के आरोप
* आमिर खान का बयान

↓

इन विवादों के कारण राष्ट्रीय पटल पर असहिष्णुता के बादल कथित रूप से दिखायी पड़े।

भारत में सहिष्णुता की जड़ें →
- आदिम मानव की सशक्त उपस्थिति
- क्रमिक रूप से मजबूत सामूहिकता व जटिल सामाजिक संरचना का विकास
- विभिन्न धर्मों के उद्भव की भूमि
- संस्कृतियों की विविधता
- गंगा-जमुनी तहजीब का विकास
- सूफीवाद → उदार इस्लामिक धारा
- हिन्द-यवन, शक, हूण, कुषाण, अरब, तुर्क, मंगोल, मुगल, अफगानी व युरोपीय जातियो के समेकन में निहित

भारतीय समाज व संस्कृति में सहनशीलता की जड़ें मूसला कोटि की है। समय साक्षी है, अनेक संस्कृतियां यहां आयीं, बसी और गंगा के प्रवाह में निरंतर हो गयीं। दुनिया में भारत शायद इकलौता ऐसा राष्ट्र है जहां मानव समूहों के आव्रजन के प्रमाण तो बहुतायत में मिलते हैं किन्तु यहां से महाभिनिष्क्रमण का शायद कोई इकलौता उदाहरण भी नही मिलता। यह स्पष्ट प्रमाण है कि सहनशीलता ही वह गुण है जिसने लोगों को यहां बुलाया और सबके साथ घुलाया-मिलाया अतः इसे असहिष्णु कहना भारतवर्ष की सांस्कृतिक अवमानना है।

{ ये मूल्य सहिष्णु भारत के परिणाम हैं।

वसुधैव कुटुम्बकम् ← → संतोषं परमं सुखम्

विश्व-बन्धुत्व ← → सर्वे भवन्तु सुखिनः

मूल्यपरक दृष्टि

↑

भारत में सहिष्णुता के विविध आयाम

← सामाजिक परम्परायें
* खान-पान
* भाषा-साहित्य
* वस्त्र-वेश-भूषा
* संस्कार
* वर्णव्यवस्था
* परोपकारी वृत्ति
* उत्सव-त्यौहार
* मिश्रित जनसंख्या, etc.

→ यहां वही राजा व व्यक्ति महानता के दर्जे तक पहुँचा जिसने सभी वर्गों, धर्मों, क्षेत्रों व लोगों को एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास किया सहनशील अकबर महान हुआ और असहिष्णु औरंगजेब निन्दनीय।

→ आर्थिक
साझे हित, कारोबार सहकारिता व साझा आर्थिक तंत्र प्रमाण है।

↓ राजनैतिक संस्कृति
* धर्म निरपेक्ष राष्ट्र
* राजा-प्रजा (पिता-पुत्र ⇒ अशोक)
* प्रजा के अनुरूप आचरण (अकबर)
* आनुपातिक प्रतिनिधित्व
* उदार लोकतंत्र
* संवैधानिक मूल्य व मर्यादायें।

वर्तमान विवादों की सत्यता

• ये विवाद राजनैतिक अधिक हैं वास्तविक कम जो निजी स्वार्थों, वोट बैंक की राजनीति और अल्पकालिक हितों के गर्भ से पैदा हुये हैं।

• इसमें मुट्ठी भर लोग ही शामिल हैं जिसमें विपक्ष, मीडिया व कथित बुद्धिजीवियों के एक वर्ग विशेष के ही लोग जुड़े हैं

* जिन घटनाओं के आधार पर ऐसी बात कही जा रही है वे असहिष्णुता के बजाय कानून-व्यवस्था की समस्या से जुड़ी हैं।

• आम भारतीय इस विवाद से कहीं दूर गंगा-जमुनी संस्कृति से सराबोर अपने कार्य में संलग्न है।

ध्यातव्य है कि असहिष्णुता समाज में भेद उत्पन्न करती है, ये राष्ट्र विभाजक भी है। इससे समाज में विभिन्न जाति, धर्म, मान्यताओं व लोगों के बीच असम्मान, शत्रुता व युद्ध की स्थिति पैदा होती है। अविश्वास का एक वातावरण पैदा होता है जो राष्ट्र को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। स्वस्थ समाज में असहिष्णुता का विकास एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उल्लेख्य है कि भारतीय नागरिक सहिष्णुता का गुण रखते हैं जो उन्हें 'जिओ और जीने दो' की क्षमता प्रदान करता है। भारत वो देश है जहां कोई भी ये आरोप नहीं लगा सकता कि यहाँ लोग असहिष्णुता को बढ़ावा दे रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में सहिष्णुता एक आवश्यक गुण है, यहाँ भारतवासी सहनशीलता बड़ों के मार्ग-दर्शन में बचपन से ही सीखते हैं इसी कारण यहाँ असहिष्णुता के दर्शन भी दुर्लभ हैं।

अंततः ये काले बादल भारतीय सहनशीलता के सूर्य को नहीं ग्रसित कर सकते। यदि दुनिया की बहुलवादी संस्कृति भारती के आँचल को इन्द्रधनुषी बना सकी है तो उसका मूलकारण एक दूसरे का सहनशील होना ही रहा है। असहिष्णुता भारतीय स्वभाव से परे का लक्षण है, यहाँ सहिष्णु बरगदों की जड़ें इतनी गहरी और छाया इतनी शीतल है कि कोई क्षणिक झंझा न तो उसे उखाड़ सकती है और न ही उष्ण बना सकती है। भारत सारे जहाँ से अच्छा था, है और रहेगा, अनादि से अनन्त तक।

'आरक्षण की प्रासंगिकता'

सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कई सारे समूह, समुदाय अथवा लोग ऐसे होते हैं जो अनेक कारणों से विकास की मुख्यधारा अथवा लाभों से वंचित रह जाते हैं। वर्तमान आधुनिक कल्याण-कारी राज्य की अवधारणा में सबको विकास का अवसर दिया जाना एक पवित्र ध्येय बना हुआ है, क्योंकि प्रश्न अगड़े अथवा पिछड़े का नहीं है वरन् समाज के संतुलित विकास का है, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करके उसे क्षमता के अनु-रूप अवसरों का उपभोग करने देने का है। आरक्षण का मंतव्य इसी भावना में निहित दिखायी देता है।

आरक्षण वस्तुतः एक ऐसी विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशेष उपबन्ध करके हाशिए पर पड़े लोगों और वंचित तबकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और उनकी ऊर्जा का राष्ट्र के विकास में योगदान लिया जा सके। अमेरिकी और यूरोपीय देशों में ऐसे वर्गों के उत्थान की विशेष आरक्षित व्यवस्था के अनुरूप भारतीय संविधान व कानून में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। संवैधानिक मूल्यों की स्थापना तथा पीछे छूटे हुए लोगों को साथ लाने की दृष्टि से आरक्षण की संकल्पना एक पवित्र उद्देश्य के रूप में की गयी।

सर्वप्रथम 1902 में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहू जी महाराज ने पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने और राज्य प्रशासन में उन्हें हिस्सेदारी देने के लिए

आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान किया। यह अधिसूचना दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण देने वाला पहला अधिकारिक दस्तावेज है।

{आरक्षण की मांग से जुड़े लोग / वर्ग} श्री रत्तामलई, आयोथीदास पंडित, श्रीनिवासन पेरियार, ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर

आँध्र → कापू समुदाय
राजस्थान → गुर्जर आन्दोलन * त्रिस्तरीय आरक्षण की मांग
गुजरात → पाटीदार आन्दोलन * प्रोन्नति में आरक्षण
हरियाणा → जाट आन्दोलन * सवर्णों द्वारा मांग

<u>भारत में आरक्षण के प्रमुख ऐतिहासिक बिन्दु :-</u>

- 1902 → छत्रपति शाहू जी महाराज द्वारा
- 1882 → हंटर कमीशन में ज्योतिबा फुले ने मांग की
- 1909 → मार्ले-मिन्टो सुधार
- 1909 → मांटेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधार
- 1921 → मद्रास प्रेसीडेन्सी
  - → ब्राह्मण + मुस्लिम + ऐंग्लो इंडि० - 16-16%
  - → गैर ब्राह्मण - 44%
  - → अनुसूचित जाति हेतु 8% का प्रावधान
- 1932 का पूना समझौता
- 1935 का भारत सरकार अधिनियम
- 1942 बाबा साहेब → भारतीय दलित वर्ग महासंघ
- 1946 कैबिनेट मिशन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात
- भारतीय संविधान में विशेष उपबन्ध की व्यवस्था
- 1953 में <u>कालेलकर</u> आयोग का गठन पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु केवल SC/ST से जुड़ी बातें मानी गयीं

15% - SC
7.5% ST
22.5%

* 1979 मंडल आयोग का गठन
* 1990 मंडल की सिफारिशें लागू ⇒ 27% OBC आरक्षण अब कुल आरक्षण सीमा 49.5% हो गयी किन्तु आंध्र + तमिल में यह 69% तक हो गयी है।
* 1995 ⇒ 77वां संशोधन (16 4 A) → प्रोन्नति में आरक्षण
* 2005 उच्च शिक्षा में 27% OBC आरक्षण

<u>भारत में आरक्षण के प्रकार</u> ⇒ भारत में अनेक आधारों पर आरक्षण का लाभ दिया जाता है, यथा —

* जातिगत आधार पर * लैंगिक आधार पर
* विकलांगों को * स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटा
* भूतपूर्व सैनिकों को * धर्म आधारित
* अधिवास के आधार पर * क्षेत्रीय आधार पर
* खेल कोटा * प्रबन्धन कोटा
* विदेशियों + प्रवासी कोटा * मृतक आश्रित कोटा
* वरिष्ठ नागरिक कोटा * अंतर्जातीय विवाह कोटा

⇒ हाल के कुछ समय में विभिन्न क्षेत्रों से आरक्षण के पक्ष-विपक्ष में अनेक आन्दोलन उभरे हैं। कई आन्दोलन के हिंसक होने, वोट-बैंक की राजनीति, क्रीमीलेयर का विवाद, सम्पत्ति व कानून-व्यवस्था की क्षति तथा सामाजिक विद्वेषपूर्ण वातावरण के निर्माण के कारण राष्ट्रीय पटल पर इसके पक्ष-विपक्ष में अनेक तर्कों के साथ एक बहस शुरू हुयी है —

पक्ष में तर्क • वंचित वर्गों के हक की दृष्टि से
• अवसरों को उपलब्ध कराने व समायोजन के लिए
• आर्थिक-सामाजिक असंतोष को दूर करके सशक्तीकरण
• कमजोरों को सहारा दिया जाय
• भेदभाव जाति के आधार पर तो आरक्षण जाति के आधार पर क्यों नहीं?

Date
Page

- समुचित प्रतिनिधित्व की दृष्टि से
- आरक्षण गुणवत्ता से थोड़ा समझौता तो अवश्य करता है पर यह अनेक वर्षों की पीड़ा-प्रताड़ना के आगे नगण्य है।
- वंचित समूह विकास हेतु स्वतंत्र संघर्ष की स्थिति में नहीं हैं।

(विपक्ष में तर्क) • कटुता बढ़ेगी, समरसता समाप्त होगी
- आन्दोलनों से सम्पत्ति-क्षति, अराजकता को बढ़ावा
- यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है
- अनारक्षित वर्ग के युवाओं में तनाव, कुंठा, अवसाद कमजोर मनोबल की स्थिति उत्पन्न होती है।
- क्या अभी तक इससे किसी जाति का विकास सम्भव हुआ ? तो उसे बाहर क्यों नहीं किया गया
- इससे योग्य लोगों के अवसर कम होंगे जिससे प्रतिभा पलायन को बढ़ावा मिलेगा
- क्रीमीलेयर की सीमा अव्यवहारिक है
- आरक्षण आखिर कब तक ?

(समाधान व निष्कर्ष) समापन नहीं, परिवर्तन

* चक्रीक क्रम, नियत अवधि, श्रेणी क्रम विभाजन के साथ लागू किया जाय
* यह विकास का मुद्दा बने, वोट-बैंक का नहीं
* आरक्षण जातीय नहीं आर्थिक आधार पर हो
* सम्पन्न हो चुके लोग स्वयं आरक्षण छोड़ें
* समृद्ध वर्ग नि:शक्तों की मदद को दायित्व समझे
* दक्षता वाले क्षेत्रों में आरक्षण न दिया जाय
* अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाय
* 'सबका साथ, सबका विकास' को लक्ष्य बनायें
* क्रीमीलेयर की सीमा को व्यवहारिक बनाया जाय
* कुरीई आरक्षण नहीं संरक्षण है, इसे बदला जाय

'सूखे की समस्या'

'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून' पंक्ति का बोधार्थ जल ही जीवन है के महत्व को स्पष्ट करता है। पानी की उपयोगिता इस बात से भी परिलक्षित होती है कि इतिहास में सभ्यताओं का विकास वहीं हुआ है जहाँ जल संसाधन की प्रचुरता रही है। इसके उलट जिन क्षेत्रों में पानी का अभाव था वे सूखाग्रस्त होकर लगातार पिछड़ते चले गये। वर्तमान परिदृश्य पर जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों ने जल संसाधन पर नकारात्मक प्रभाव डालकर समस्या को और गम्भीर बना दिया है। यही कारण है कि आज भारत जैसे विकासशील देश आज एक बड़े भू-क्षेत्र में सूखे की आपदा का सामना करने के लिए विवश हैं।

भारत में सूखे की समस्या को जानने से पूर्व यहां जल संसाधन की उपलब्धता, वितरण व दोहन से जुड़े पहलुओं को जानना बेहद आवश्यक होगा। दीर्घकाल तक शुष्कता में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली सूखे की स्थिति का जलवर्षा की मात्रा, सामान्य औसत, वार्षिक जल वर्षा से उसके विचलन तथा विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल की स्थानीय मांग से गहरा सम्बन्ध होता है।

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उस दशा को सूखा कहते हैं जब किसी क्षेत्र में सामान्य वर्षा

परिभाषा → से वास्तविक वर्षा 75% से कम होती है। इसके दो वर्ग हैं –

सूखा
- प्रचण्ड सूखा → 50% >
- सामान्य सूखा → 25-50% के मध्य

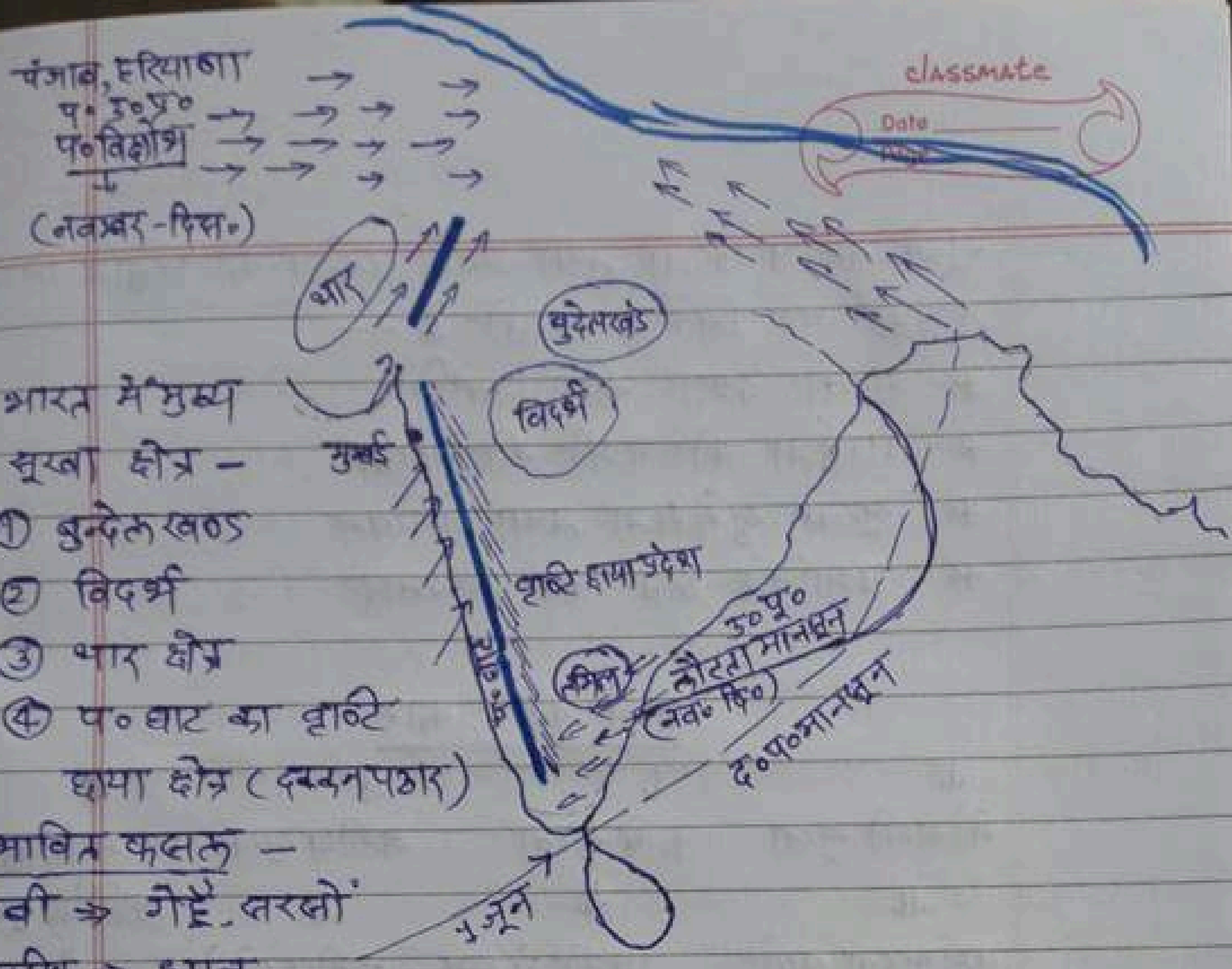

भारत में मुख्य सूखा क्षेत्र –
① बुन्देलखण्ड
② विदर्भ
③ थार क्षेत्र
④ प० घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र (दक्कन पठार)

प्रभावित फसल –
रबी ⇒ गेहूँ, सरसों
खरीफ ⇒ धान
मध्य भारत ⇒ दलहन / तिलहन मुख्य रूप से प्रभावित हैं।

भारत में सूखा ⇒ सूखे की प्रकृति

→ पहला, वे क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक कारणों से मानसून नही पहुँच पाता वे धीरे सूखा क्षेत्र में बदल गये ⇒ थार, बुंदेलखंड, दक्कन क्षेत्र में इसी प्रकार का सूखा है।

→ दूसरे, वे क्षेत्र जहाँ जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के चलते मानसून की अनियमितता में वृद्धि हुयी है। ये मुख्यत: वे क्षेत्र हैं जहाँ मानसून का प्रभाव है जैसे - तराई क्षेत्र में सूखे की स्थिति यही दर्शाती है।

वर्तमान परिदृश्य → देश के 640 में 302 जिले सूखाग्रस्त
उत्तर-प्रदेश ⇒ 61 जिले * रबी की बुवाई 2.85% कम
कर्नाटक ⇒ 27 जिले * जून - सित० 2015 के मध्य
आंध्र में ⇒ 7 जिले औसत से 20% कम वर्षा
म० प्र० में ⇒ 41 जिले हुयी है।

सूखे की प्रचण्डता तथा उसके प्रकोप की प्रकृति निम्न कारकों पर निर्भर करती है —

* सूखा दशा की अवधि
* आर्द्रता की कमी की मात्रा
* सूखा सुभेद्यता तथा जोखिम
* प्रभावित क्षेत्र का विस्तार

सूखे का प्रकार

- मौसमी सूखा ⇓ यह सूखा वर्षा कारक पर होता है
- कृषि सूखा ⇓ मिट्टी में कम नमी की दशा
- जलीय सूखा ⇓ जलीय स्रोतों का सूखना
- सामाजिक-आर्थिक सूखा ⇓ न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा

प्रभाव

अकाल व जन हानि
- भुखमरी, अकाल, कुपोषण
- हीट स्ट्रोक, डीहाइड्रेशन
- हाइपरथर्मिया, उच्च ज्वर

सामाजिक
- पिछड़े समाज की स्थिति
- पलायन, प्रवासन
- जल हेतु संघर्ष
- भरण-पोषण की समस्या
- अवसरों में कमी
- असामयिक मृत्यु
- विद्रोहात्मक दशायें

आर्थिक
- कच्चे माल की कमी
- उत्पादन में कमी
- संसाधनों की क्षति
- विनिर्माण में कमी
- मंदी की स्थिति
- गरीबी, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति

पर्यावरणीय
- मरुस्थलीकरण में वृद्धि
- वायु अपरदन में तेजी
- पारिस्थितिकी चक्र का विनाश
- जैव विविधता में कमी
- आहार का संघर्ष व पलायन
- धूल भरी आंधियों में वृद्धि

Date
Page

सूखा निवारण व नियंत्रण के उपाय :-

* मानचित्रण व उपग्रह दूरसंवेदन तंत्र का विकास
* सटीक आकलन का प्रभावी मॉडल तैयार करना
* सूखा जोखिम मॉडल का विकास
* सूखे के भौतिक व मानवीय कारकों की सही पहचान
* प्रभावी जल प्रबन्धन मॉडल का विकास
* वनारोपण व मेघबीजन की सघनता
* सिंचायी में न्यूनतम जल उपयोग वाली प्रविधियां
* रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता
* शुष्क कृषि फसल किस्म व तकनीकी को बढ़ावा
* नदी जोड़ो परियोजना जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन
* मरुस्थलीकरण की रोकथाम का उपाय
* जल का नियंत्रित उपयोग, विभिन्न कार्यों में
* लघु जल भण्डार की विधाओं का उपयोग

अंततः, सूखे से भी ज्यादा गम्भीर समस्या जल के कुप्रबन्धन व उसके दुरुपयोग की है। उपलब्ध जल का संग्रहण, सदुपयोग तथा जल शोधन सम्बन्धी तकनीकी विकास ही सूखे से निपटने की कारगर रणनीति हो सकती है। पानी की बूंद-बूंद को बचाने के लिए सरकार, नागरिक व निजी समूहों का त्रिस्तरीय प्रयास यदि दैनिक उपयोग और योजनाओं-परियोजनाओं जल प्रबन्धन के लक्ष्य को अनिवार्य रूप से शामिल करे तो काफी हद तक सूखे जैसी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है।

"जल है तो कल है।"

संगठित आतंकवाद : नयी वैश्विक चुनौती

चारों तरफ उठते जहरीले धुंऐं और गर्द के गुबार, बिलखते-चीखते लोगों की आवाजें, चतुर्दिक बिखरे क्षत-विक्षत शव और पुलिस तथा एम्बुलेन्स की गाड़ियों के सायरनों के शोर का वातावरण सार्वः प्रायः तब उपस्थित होता है जब आतंकी सार्व- जिक स्थानों पर किसी वारदात को अंजाम देते हैं। दरअसल आतंकी तत्व ऐसी विचारधारा से जुड़े होते हैं जो हिंसा को साधन बनाकर भय और आतंक का वातावरण तैयार करके अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं, यही विचारधारा आतंकवाद कहलाती है।

- इसकी अभी तक कोई सर्वमान्य परिभाषा नही है जिसका मूल वर विभिन्न संगठनों / देशों के कतिपय निजी हित तथा क्षुद्र स्वार्थ हैं।
- यह वैचारिक अतिवाद है जिसका मुख्य साधन हिंसा है।

परिभाषा

(आतंक) ⇒ भय / डर का वातावरण ⇒ हिंसा
\+
(वाद) ⇒ विचारधारा अर्थात्

⇒ आतंकवाद भय और हिंसा पर आधारित ऐसी विचारधारा है जिसका प्रयोग राज्य / सरकार के विरोध में अपनी मांगों को मनवाने के लिए संगठित रूप से अंजाम दिया जाता है।

⇒ वर्तमान में आतंकवाद की शैली में परिवर्तन आया है जिसका कारण व स्वरूप निम्नलिखित है —

कारण

- लक्षित कार्यवाहियां
- विशेष प्रशिक्षित बल
- कठोर कानून
- अंतर्राष्ट्रीय समझौते
- CCTV, GPS सिस्टम
- सुरक्षा व्यवस्था की मजबूत स्थिति
- विशेष अदालतें

स्वरूप

- दर्शन
- कानूनों का निर्माण
- दण्ड व्यवस्था
- दीर्घकालिक उद्देश्य
- भौगोलिक विस्तार
- संसाधनों पर नियंत्रण ⇓ बजट ढांचा
- राज्य निर्माण
- सैन्य व प्रशासनिक ढांचे का निर्माण

⇒ यह नया स्वरूप ही अब "संगठित आतंकवाद" के तौर पर उभर रहा है।

आतंकवाद उभरने के **मूल कारण** –

आर्थिक

* विकास का अभाव
* पिछड़ापन
* आर्थिक शोषण व असमानता
* गरीबी, बेरोजगारी
* सम्पत्तियों का असमान वितरण

सामाजिक

- दमन, शोषण
- वर्गीय भेद
- विभिन्न सामाजिक ईकाइयों का अस्तित्व
- विविधतापूर्ण सामाजिक संरचना
- सौहार्द-समरसता की कमी

धार्मिक

- 1979 में ईरानी इस्लामी क्रांति
- जेहाद का दर्शन
- कट्टर पंथ
- काफिरों के विरुद्ध युद्ध का दर्शन
- दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना

राजनैतिक

- ⇒ पडोसी राज्य को अस्थिर करना, छद्म युद्ध
- ⇒ शत्रु देश के विरुद्ध नीतिगत उपकरण
- ⇒ आंतरिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
- ⇒ युद्ध में पराजित होने की दशा में
- ⇒ राज्य के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का शुरुआती चरण

आतंकवाद के रूप
- राजनैतिक उद्देश्यों के लिए
- धार्मिक उद्देश्यों के लिए
- आर्थिक उद्देश्यों के लिए
- राज्य प्रायोजित आतंकवाद
- नाभिकीय आतंकवाद
- पारिस्थितिकीय आतंकवाद
- साइबर आतंकवाद

⊛ आतंकवादी संगठनों के प्रमुख उद्देश्य
* आम आदमी का सरकार के प्रति विश्वास कमजोर करना
* सरकार/राज्य पर प्रतिरोधात्मक कार्यवाही के लिए
* जनता को आतंकवाद के समर्थन में हथियार उठाने के लिए प्रेरित करने के लिए
* सरकार के समक्ष अधिकतम हिंसा फैलाकर सरकार को अपनी बात मानने के लिए विवश करना

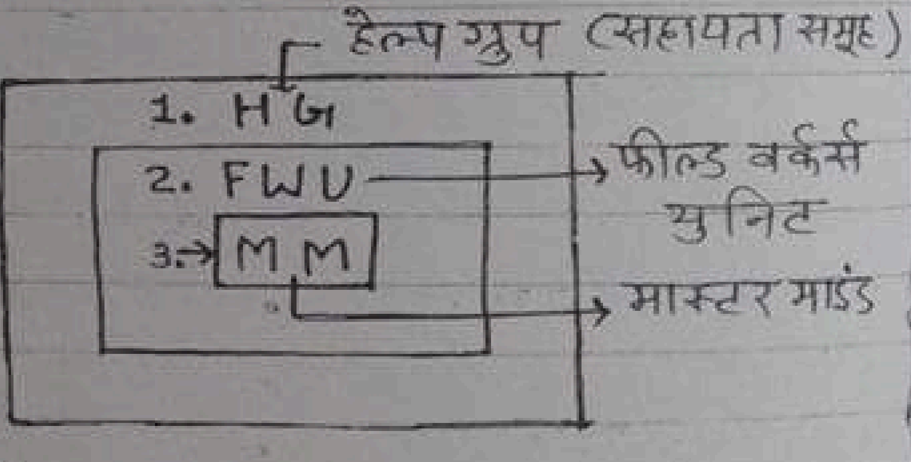

1. ये पूरे विश्व में फैले इनके समर्थक होते हैं जो विभिन्न अवसरों पर इनकी मदद करते हैं, इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। नेता, पत्रकार, बिजनेसमैन डॉक्टर, इंजीनियर, घरेलू लोग
2. ये ऐसे भटके युवा होते हैं जिनका ब्रेन वाश कर दिया जाता है, ये ही घटनास्थल पर जाकर वारदात को अंजाम देते हैं।

तौर-तरीके

3. ये पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी होते हैं जिनका काम योजनाओं का निर्माण, लक्ष्य को तय करना, नीतिगत प्रसार, धन जुटाना, समर्थन प्राप्त करना, आवश्यक निर्देश देना होता है। ये संख्या में सबसे कम व अति सुरक्षित क्षेत्र में होते हैं।

⊛ संचार-आपूर्ति नष्ट करना, अपहरण, बंधक बनाना

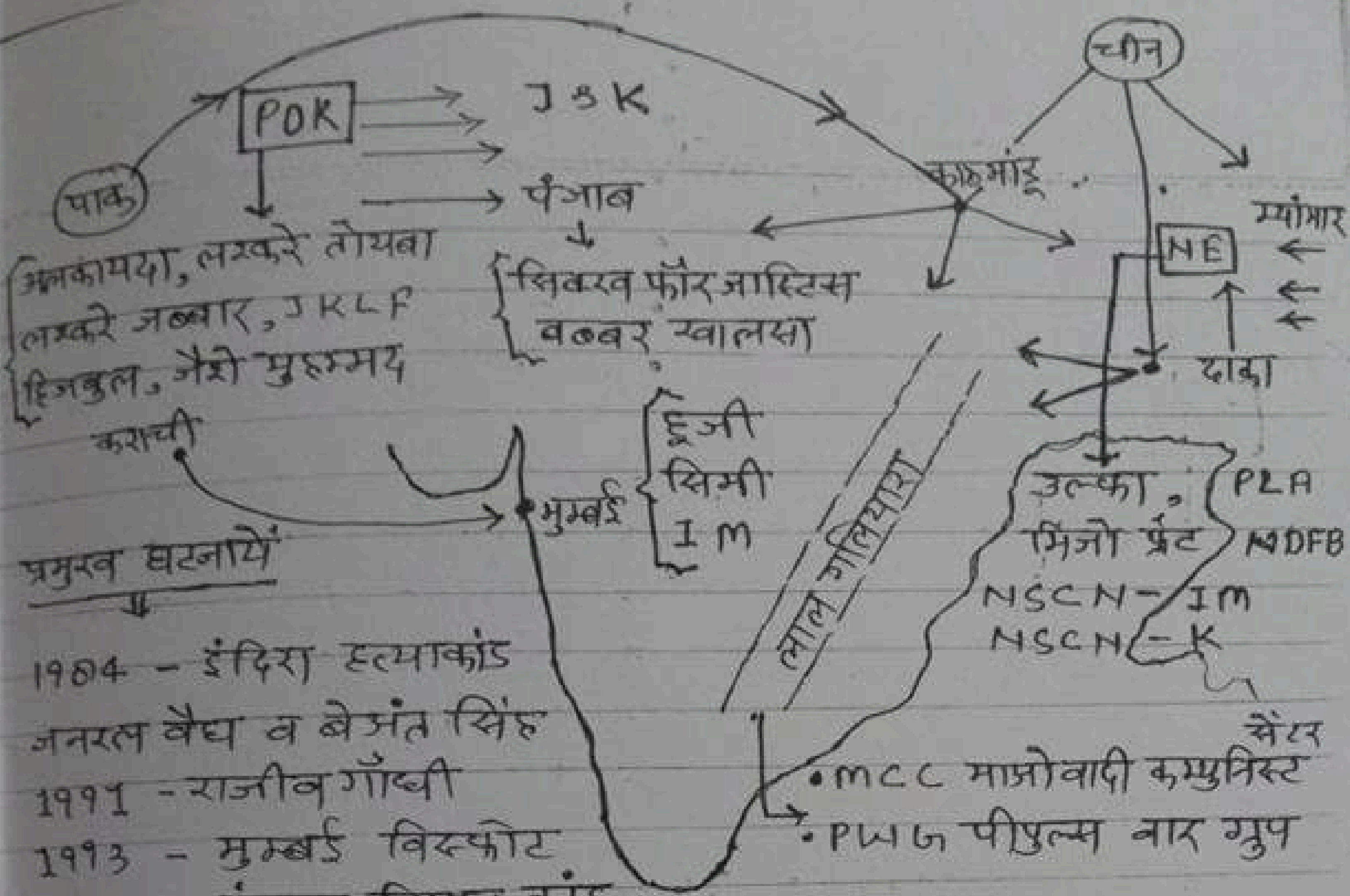

प्रमुख घटनायें

1984 - इंदिरा हत्याकांड
जनरल वैद्य व बेअंत सिंह
1991 - राजीव गाँधी
1993 - मुम्बई विस्फोट
1999 - कंधार विमान कांड
2001 - संसद हमला, 2002 अक्षरधाम हमला,
2006 - मुम्बई लोकल ट्रेन विस्फोट, वाराणसी संकटमोचन,
2007 हैदराबाद मक्का मस्जिद, 2008 जयपुर विस्फोट,
2008 अहमदाबाद व दिल्ली, मालेगांव, 26/11 ताज कांड
जून 2015 NSCN-K द्वारा मणिपुर में सेना पर हमला
18 जवान शहीद

प्रसार क्षेत्र

उइगुर आतंकी - शिनजियांग प्रांत (चीन)
चेचन्या आतंकी - रूस में सक्रिय।

अलकायदा	अफगानिस्तान	9/11 को W.T.C.
तालिबान (TTP, हक्कानी नेटवर्क)	अफ॰ + पाक	स्वात घाटी में प्रभाव
बोको हराम	नाइजीरिया + उ॰ अफ्रीका	निरन्तर हमला
लिट्टे	श्रीलंका (जाफना)	श्रीलंका में गृहयुद्ध
ISIS	इराक + सीरिया	सर्वाधिक प्रभावी
अलशबाब	केन्या	केन्या हमला

- उपाय
  - निरोधात्मक उपाय
    - कठोर कानूनों का निर्माण
    - त्वरित अदालती कार्यवाही
    - विशेष बलों का गठन
    - मजबूत सुरक्षा तंत्र का निर्माण
    - कठोर दण्ड की व्यवस्था
    - साझे तंत्र का निर्माण
    - कैम्पों/संगठनों को नष्ट करना
  - निदानात्मक उपाय
    - * जनमत का निर्माण
    - * सामाजिक-आर्थिक विकास
    - * राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन
    - * सौहार्द-समरसता में वृद्धि
    - * समावेशी विकास मॉडल
    - * कट्टरपंथ को हतोत्साहित करना

बाधायें

- → आतंकवाद की परिभाषा के दोहरे मापदण्ड
- → साझे तंत्र के निर्माण की असफलता
- → सूचना व संचार तंत्र की लचर व्यवस्था
- → राजनीतिकरण व राजनैतिक संरक्षण
- → धार्मिक आधार से जुड़ा होना, इत्यादि।

इस प्रकार, आतंकवाद के विरुद्ध सभी राष्ट्रों को इसे एक वैश्विक समस्या के रूप में परिभाषित करते हुए, सामूहिक रूप से लड़ने के लिए कृत संकल्प होना पड़ेगा। व्यक्तिगत हितों के स्थान पर सामूहिक हितों पर ध्यान तथा जन सहभागी त्वरित व प्रभावी तंत्र का निर्माण तथा क्रियान्वयन ही इस विचारधारा को कमजोर कर सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सभ्य समाज आतंक के साये में जीने के लिए विवश बना रहेगा।

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'

महिलायें प्रेमपात्र पुत्री हैं, स्नेहमयी भगिनी हैं, कर्त्तव्यशीला पत्नी हैं और भावी नागरिकों की माता हैं अर्थात् ये पुरुष जीवन का अवलम्ब हैं। किंतु वर्तमान पुरुषसत्तावादी समाज ने इस सन्दर्भ में आत्मघाती परिदृश्य का खाका तैयार किया है और ताज्जुब की बात यह है कि इस मर्दवादी सोच का दायरा केवल पुरुष वर्ग तक ही सीमित नहीं है अपितु महिलाओं के एक बड़े वर्ग को भी इसने संक्रमित किया है। सास-बहू के झगड़े, जेठानी-देवरानी के किस्से और पुत्र-पुत्रियों के बीच दो आँख करने की खबरें आये दिन मीडिया की सुर्खियां बनी रहती हैं। यदि इस स्याह पर सफेदी चढ़ानी है तो बदलाव की शुरुआत भी मां की कोख से ही करनी होगी, जिसकी पहल माननीय प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से की है।

मुख्य बिन्दु

* हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री द्वारा शुरु
* गणतंत्र दिवस की झांकी - 'बधाई हो बेटी हुयी है'
* नोडल एजेंसी - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
* सहायक - HRD m + स्वास्थ्य व परिवार कल्याण
* ब्रांड एम्बेसडर → माधुरी दीक्षित
* लक्ष्य → बालिका जन्मोत्सव मनाना व उसे शिक्षित बनाना
* लैंगिक पूर्वाग्रह का समापन
* बेटी बचाव व संरक्षण
* बालिका शिक्षा को सुनिश्चित करना
* 100 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू

गुड्डा-गुड्डी बोर्ड द्वारा लिंगानुपात विवरण का सार्वजनिक प्रदर्शन

• जिलो के चयन का आधार (पायलट प्रोजेक्ट में)
(i) ऐसे जिले जहां 0-6 आयु समूह का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है (919 से कम)
(ii) जहां राष्ट्रीय औसत के आस-पास है
(iii) जहां अधिक है (प्रोत्साहन के तौर पर)

रणनीति

• बेटी जन्मोत्सव की खुशी व बेटियों पर गर्व
• पराया धन की मानसिकता का विरोध
• लैंगिक समानता को बढ़ावा
• सामाजिक कुरीतियों का दृढ़ता से विरोध
• बालिका शिक्षा को मजबूत करना
• लिंग चयन के के घटना की सूचना देना
• सम्पत्ति में भागीदारी को बढ़ावा
• सुरक्षित व भयमुक्त वातावरण का निर्माण

वर्तमान स्थिति व आवश्यकता

* घर → सार्वजनिक स्तर तक कमजोर स्थिति
* खराब लिंगानुपात व शैक्षिक स्थिति
* सम्पत्ति में आनुपातिक भागीदारी की कमी
* लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न, छेड़खानी व बलात्कार की बढ़ती घटनायें और आर्थिक-शैक्षिक रूप से कमजोर होने के कारण वे अपना बचाव भी नही कर पाती है
* लगभग 22 करोड़ बेटियां 18 वर्ष से कम है
* 70% लड़कियां 10वीं तक पढ़ाई छोड़ देती हैं
* स्कूलों में महिला टीचर मात्र 31.6% हैं
* पंजाब, हरियाणा जैसे समृद्ध राज्यों में बालिका शिशुओं की स्थिति बेहद चिंताजनक
* राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में बाल विवाह की समस्या गम्भीर है।
* महिलायें कमजोर मनोबल, दक्षता के अभाव अजागरूकता व परनिर्भरता से ग्रस्त हैं।

प्रभाव

महिलाओं पर
- बेटी-बहन-माता-पत्नी की अवस्था ठीक बनेगी
- स्वस्थ व जागरूक होंगी
- आत्मसम्मान व अधिकार मिलेगा

- विकास के मानक पूरे होंगे व अंतर्राष्ट्रीय छवि भी सुधरेगी
- दक्षता से नयी मानव पूंजी प्राप्त होगी

देश पर
- → स्वस्थ परिवार
- → स्वस्थ समाज
- → स्वस्थ राष्ट्र
- → सुन्दर वातावरण बनेगा
- → गाड़ी के दोनों पहिये मजबूत

संविधान
- व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा व अवसर की समता
- → सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक न्याय
- मूल अधिकार व निदेशक तत्व व्यवहृत होंगे

बाधायें

परम्परागत ⇒
- * जटिल सामाजिक संरचना
- * जातीय-धार्मिक पूर्वाग्रह
- * परिवार से समाज तक दकियानूसी सोच
- * मुख्यधारा से दीर्घकालिक अलगाव
- * नियति पर निर्भरता

योजनागत ⇒
- क्रियान्वयन सम्बन्धी कमजोरियां
- भ्रष्टाचार, लीकेज, लालफीताशाही
- पारदर्शिता व दायित्व बोध का अभाव
- कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्यायें
- ढीला-ढाला न्यायिक ढांचा

सुझाव ⇒

- ⇒ परिवार, समाज की सोच को बदलना होगा
- ⇒ घर से बाहर तक भयमुक्त वातावरण
- ⇒ महिला विरोधी मानसिकता का त्याग
- ⇒ प्रत्येक महिला को सामूहिक उत्थान के विषय में सोचना होगा
- ⇒ कुरीतियों से लड़ाई तेज करनी होगी
- ⇒ मजबूत कानून-व्यवस्था व जनजागरूकता
- ⇒ अगली पीढ़ी के लिए वर्तमान में आत्म-निर्भर सशक्त महिला पीढ़ी का निर्माण

मूल्यांकन

यह योजना अपने वर्तमान स्वरूप में देश के अतीत की कमियों को दूर करके उसके भावी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सहायक होगी। मजबूत राष्ट्र के लिए स्वस्थ व संतुलित परिवार तथा समाज आवश्यक है। विज़न 2020, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2016-30 तथा क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समझौतों व प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दृष्टि से भी यह योजना सार्थक है। सम्पोषणीय व संतुलित विकास की अवधारणा को भी मूर्त रूप देने की दृष्टि से इस तरह की पहल बेहद प्रासंगिक है। इससे बेटियों को बोझ समझने की प्रवृत्ति बदलेगी, लैंगिक समानता का भाव पनपेगा। चूंकि यह योजना गर्भ से लेकर आत्मनिर्भर बनाने तक बेटियों की सुरक्षा मजबूत करती है अतः पहले के योजनाओं की अपेक्षा अधिक समेकित व व्यवहारिक दिखायी देती है।

निष्कर्ष

इस प्रकार, 'पढ़ी-लिखी लड़की, रोशनी है घर की' के भाव को आत्मसात करती यह योजना निश्चित रूप से बाल लिंगानुपात की गिरावट को रोकने और उसमें वृद्धि करने की एक मजबूत पहल है। इससे महिलाओं को सशक्त बनाने उन्हें सम्मान दिलाने और अवसरों को उपलब्ध कराने का एक मंच तैयार होगा। इसकी बदौलत भारत अपना संतुलित और समावेशी विकास करके न केवल अपने भावी लक्ष्यों को पूरा करेगा बल्कि शिक्षित भारत और सशक्त भारत के रूप में अपने महाशक्तिय स्वरूप को भी गढ़ सकेगा।

'जैविक कृषि : लाभकारी खेती की पहल'

कृषि क्षेत्रक पर बढ़ते जनदबाव, सीमित संसाधनों और न्यूनतम उत्पादकता के कारण वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान हरित क्रांति जैसी व्यवस्था की ओर गया, किन्तु इसके दुष्प्रभावों ने वैश्विक जगत का ध्यान उत्पादन के साधनों और तौर-तरीकों पर पुनर्विचार करने के लिए खींचा। इसका सम्यक् समाधान जैविक घटकों के प्रयोग आधारित कृषि उत्पादन प्रणाली के रूप में सामने आया। दरअसल रसायनिक आधार वाली कृषि प्रणाली ने उत्पादन बनाम प्रदूषण अथवा उत्पादकता बनाम टिकाऊपन जैसी गम्भीर बहसों को जन्म दिया था। इसके निवारण के आशा की किरण ही जैविक खेती के रूप प्रस्फुटित हुयी, यह लाभकारी, टिकाऊ व मित्र कृषि प्रणाली की पृष्ठभूमि है।

क्या है?
↓
कार्बनिक खेती भी कहते हैं।

इसे प्रकृति के प्रति झुकाव वाली कृषि के रूप में जाना जाता है। यह ऐसी पद्धति है जो रसायनिक कीटनाशकों व उर्वरकों के स्थान पर मृदा संरक्षण और उपयोगिता को बनाये रखने के लिए जैविक खाद, बीजेज, पेड़-पौधों के अवशिष्टों, जैव विविधता तथा संसाधन संरक्षण का प्रयोग किया जाता है।

* रसायनिक आधार वाली खेती ने कृषि के मूल ढांचे को ही नष्ट करना शुरू कर दिया, जहां प्रारम्भ में उत्पादन बढ़ा वहीं कुछ समय बाद उसमें ठहराव या गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी, यह जैविक खेती की ओर प्रस्थान बिन्दु साबित हुआ।

भारत में प्राचीन काल से ही कृषि प्रणाली में जैविक घटकों का प्रयोग होता रहा है इस तथ्य को यहां की कृषि संरचना को देखकर भली-भाँति समझा जा सकता है किंतु आधुनिक कार्बनिक खेती

पृष्ठभूमि → की शुरुआत युनाइटेड किंगडम से मानी जाती है जहां सर एल्बर्ट होवार्ड को 'आधुनिक कार्बनिक खेती का पिता' कहा जाता है। दरअसल कार्बनिक किसान वे थे जिन्होने मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति खेत अवशिष्ट तथा हरी खाद से किया और रसायनिक कीटनाशकों के स्थान पर जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया।

घटक

खाद	कीटनाशक
फसल अवशिष्ट	नीम की खली
गोबर की खाद	नमक का प्रयोग
मुर्गी-मछली की खाद	जैविक कीट नियंत्रक
हरी खाद (ढैंचा, सनई)	केंचुआ, साँप इत्यादि
जैव अपघट्य कचरा	विविधता पूर्ण फसलों
रजोला, अल्फाल्फा	की बुवाई की जाय
नील हरित शैवाल	जिससे रोगों का प्रसार
इत्यादि खादों का प्रयोग	कम से कम हो।

भारत में सम्भावनायें * भारत के कार्बनिक खेती का आधार परम्परागत रूप से पहले से ही विद्यमान रहा है। यहां का किसान जैविक खेती की लगभग सभी प्रविधियों का प्रयोग पूर्व में करने के कारण पर्याप्त अनुभवी रहा है। सिक्किम सहित देश के विभिन्न भागों के किसानों ने इसका स्वागत भी किया है अतः भारत इसकी सर्वाधिक उपयुक्त जगह है।

* टिकाऊ व पोषणीय कृषि को बढ़ावा मिलेगा
* संसाधन संरक्षण होगा
* पारिस्थितिकी संतुलन में सहायक
* उत्पादन की मात्रा ही नही गुणवत्ता भी बढ़ेगी
* बाजार में स्वस्थ उत्पादों की पूर्ति होगी

(प्रभाव)

* सुरक्षित खाद्य चक्र पूरा हो सकेगा
* जैविक उत्पादों की मांग किसानों का लाभ बढ़ायेगी जिससे उनकी आय बढ़ेगी
* लाभ की स्थिति कृषि उपकरणों की खरीद में भी तेजी लायेगी, द्वितीयक क्षेत्र मजबूत
* टिकाऊ, हरित, संपोषणीय व सतत् विकास मॉडल को मजबूती मिलेगी
* जैविक आधार जैव विविधता को बढ़ावा देगी

जैविक कृषि

मजबूत पक्ष →

- जैविक संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग
- रसायनिक खेती से अरुचि
- देशी जैविक संसाधनों की प्रचुरता
- किसानों की अनुभव शीलता
- सरकार का सहयोगपूर्ण रवैया

कमजोर पक्ष →

- जागरूकता व प्रशिक्षण का अभाव
- जोतों का विघटित व छोटा आकार
- पूर्व की रसायनिक खेती ने जैव आधार को नष्ट कर दिया है अतः उसकी पुनर्स्थापना करनी पड़ेगी
- पहले तीन वर्ष कार्बनिक खेती लाभ नही दे पाती उसमें ब्रेक ईवन बिन्दु के आने के बाद ही क्रमिक रूप से लाभ की स्थिति बनेगी। ऐसी दशा में शुरुआत के तीन वर्ष किसानों को संरक्षण देना व उनके घाटे की भरपायी सबसे बड़ी चुनौती उभरी है।

भारत सरकार ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार की है। महाराष्ट्र का माध्या कार्बनिक खेती की शुरुआत करने वाला भारत का पहला गाँव है। सिक्किम इस प्रकार का पहला राज्य भी बन गया है। राजस्थान के कृषि विज्ञान केन्द्र ने श्रीगंगानगर जिले के "श्री एम.एस.' गाँव को गोद किया है जिसमें प्रत्येक कृषक अपनी जमीन के एक भाग में अनिवार्य रूप से कार्बनिक खेती को बढ़ावा देगा।

जैविक कृषि लाभ व विकास की दृष्टि से प्रयास

आज जिस तरह से उपभोक्तावादी संस्कृति ने खान-पान व जीवनशैली को नकारात्मक ढंग से परिवर्तित किया है उसने स्वास्थ्य व पर्यावरण के साथ सुरक्षित खाद्य उपलब्धता पर भी प्रश्न खड़ा किया है। सरकार का ध्येय है कि यदि विकास की निरंतरता को बनाये रखना है तो अब सुरक्षित खाद्य से स्वच्छ पर्यावरण की अवधारणा को केन्द्र में रखना होगा, जैविक खेती की यही दिशा है।

आज रसायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय समस्याओं तथा विषैले उत्पादों का समाधान जैविक खेती के रूप में ढूंढा जा रहा है। पर्यावरण-मित्र विकास मॉडल की दृष्टि से जैविक खेती प्राथमिक क्षेत्र की रीढ़ साबित हो सकती है जो उसे टिकाऊ व लाभकारी कृषि ढांचे में परिवर्तित कर देगी। यह न केवल पोषणीय विकास की दृष्टि से आवश्यक होगा बल्कि प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण तथा स्वस्थ्य जीवन-शैली की दृष्टि से भी बेहद उपयोगी होगा, इसीलि माननीय प्रधानमंत्री ने गंगटोक से देश के किसानों का आह्वान किया है।